तमिलनाडु राज्य एवं अन्य

बनाम

एलीफैंट जी. राजेन्द्रन एवं अन्य आदि

(2019 की दीवानी अपील संख्याएँ 3918–3919)

12 अप्रैल, 2019

[माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री के. एम. जोसेफ]

तमिलनाडु हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम, 1959: मूर्ति चोरी प्रकरण – ऐसे प्रकरणों के अनुसंधान, अन्वेषण तथा अनुवर्ती कार्यवाही का संचालन अपराध अन्वेषण विभाग की मूर्ति शाखा द्वारा किया जा रहा था – राज्य का हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग मंदिरों, मूर्तियों तथा कलाकृतियों का नियंत्रण एवं प्रबंधन कर रहा था – हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त आयुक्त द्वारा पुलिस महानिदेशक को पत्र प्रेषित कर अपने अधिकारियों द्वारा प्राप्त विभिन्न शिकायतों का उल्लेख किया गया, जो मूर्ति शाखा के विरुद्ध थीं – दिनांक 01.08.2018 के शासकीय आदेश द्वारा तमिलनाडु राज्य ने मूर्ति चोरी प्रकरणों हेतु गठित विशेष दल द्वारा अन्वेषणाधीन सभी मामलों तथा भविष्य के सभी ऐसे मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया – औचित्य – अभिनिर्धारित: यह सर्वविदित तथ्य था कि हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध आरोप तथा प्राथमिकी विद्यमान थीं और आयुक्त द्वारा पुलिस की मूर्ति शाखा के विरुद्ध प्रस्तुत शिकायतों को बिना किसी जांच किए सीधे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था – भले ही आयुक्त द्वारा की गई शिकायतों में कुछ सत्यता होती, तब भी उनका परीक्षण किया जाना चाहिए था और सरकार द्वारा सूचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाना अपेक्षित था – आयुक्त के एक मात्र पत्र के आधार पर अचानक यह मत नहीं बनाया जा सकता था कि विभाग की मूर्ति शाखा अपना कार्य समुचित रूप से नहीं कर रही है – मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित करने का निर्णय, आयुक्त द्वारा प्राप्त शिकायत पर, बिना किसी जांच किए,

एक ही दिन में उतावलेपन में लिया गया था और सरकार का यह निर्णय सूचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय नहीं कहा जा सकता – जब मूर्ति चोरी से संबंधित मामले पहले से ही उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन गठित विशेष अन्वेषण दल द्वारा अनुसंधानाधीन थे, तब राज्य सरकार के लिए यह अपेक्षित था कि वह मामलों के स्थानांतरण हेतु कोई शासकीय आदेश जारी करने से पूर्व न्यायालय को अवगत कराती – किसी भी दृष्टिकोण से, मूर्ति चोरी के मामलों की बड़ी संख्या तथा भविष्य में आने वाले ऐसे मामलों को देखते हुए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो राज्य द्वारा अनुरोधित किए जाने के लिए उपयुक्त अनुसंधान एजेंसी नहीं थी – स्वयं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इतने व्यापक कार्यभार को ग्रहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी – अतः उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2018 के शासकीय आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई।"

भारत का संविधान :

अनुच्छेद 226 – इसके अधीन क्षेत्राधिकार – प्रयोग – उत्तरदाता संख्या 2, जो पुलिस अधिकारी है और मूर्ति शाखा का प्रभारी है, मूर्ति चोरी के प्रकरणों का पर्यवेक्षण कर रहा था तथा उसने कई करोड़ रुपये मूल्य की अनेक मूर्तियों का सफलतापूर्वक पता लगाकर उनकी बरामदगी की – उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया कि उत्तरदाता संख्या 2 को उसकी अधिवर्षिता के पश्चात भी विशेष अन्वेषण दल का प्रमुख नियुक्त किया जाए, ताकि वह ऐसे अनुसंधान एवं अन्य कार्य कर सके जो दं.प्र.सं. के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा किए जा सकते हैं – स्थायित्व – अभिनिर्धारित: संविधानिक न्यायालयों का अनुच्छेद 226 तथा 32 के अधीन क्षेत्राधिकार, संविधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नवीन कार्यप्रणाली विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है – पर्याप्त कारण होने पर अनुसंधान ऐसे व्यक्ति को भी सौंपा जा सकता है जो सेवानिवृत्त हो चुका हो या सेवा में न हो – सरकार ऐसे आदेश जारी कर सकती है, जिससे उत्तरदाता संख्या 2 को निर्देशानुसार कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके – उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के अधीन अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए,

उत्तरदाता संख्या 2 को अधिवर्षिता प्राप्त करने के पश्चात भी विशेष अन्वेषण दल का प्रमुख नियुक्त कर अनुसंधान एवं अन्य कार्य करने का निर्देश देने के लिए पूर्णतः सक्षम था – अतः उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 को अधिवर्षिता के पश्चात भी अपराध अन्वेषण विभाग की मूर्ति शाखा में बनाए रखने के निर्देश स्थायित्व रखते हैं।"

अनुच्छेद 226 – इसके अधीन क्षेत्राधिकार – उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग – कार्यक्षेत्र एवं सीमा – अभिनिर्धारित: अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति अत्यंत व्यापक प्रकृति की है, जिस पर स्वनिर्धारित सीमाओं के अतिरिक्त कोई प्रतिबंध नहीं है – तथापि, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं करेगा जो विधि के प्रतिकूल हो।

अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 दिनांक 31.07.2018 के पत्र में, जो हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त आयुक्त द्वारा पुलिस महानिदेशक को प्रेषित किया गया, आयुक्त ने अपने अधिकारियों द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से प्राप्त विभिन्न शिकायतों का उल्लेख किया। आयुक्त ने अभिव्यक्त किया कि हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग एक संकट का सामना कर रहा है। आयुक्त ने पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने के लिए लिखा कि निष्पक्ष एवं गोपनीय अन्वेषण किया जाए तथा दोषियों को दंडित किया जाए, साथ ही ईमानदार अधिकारियों एवं विभाग की प्रतिष्ठा को क्षति न पहुँचे। इसी दिनांक 31.07.2018 के पत्र द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक ने भी पुलिस महानिदेशक को यह अनुशंसा की कि मूर्ति चोरी प्रकरणों के लिए गठित विशेष दल द्वारा अन्वेषणाधीन सभी मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया जाए। पुलिस महानिदेशक ने अगले ही दिन, अर्थात् 01.08.2018 को, मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित करने की अनुशंसा कर दी और उसी दिन दिनांक 01.08.2018 का शासकीय आदेश जारी कर दिया गया। इस प्रकार, आयुक्त द्वारा प्रस्तुत

शिकायतों के आधार पर मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित करने की संपूर्ण प्रक्रिया एक ही दिन में पूर्ण कर ली गई। उच्च न्यायालय के दिनांक 21.07.2018 के आदेश द्वारा हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच करने का निर्देश दिया गया था। उक्त विभाग के अधिकारियों तथा अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई थीं। इस प्रकार यह एक ज्ञात तथ्य था कि कुछ अधिकारियों के विरुद्ध आरोप एवं प्राथमिकी विद्यमान थीं और पुलिस की मूर्ति शाखा के विरुद्ध आयुक्त द्वारा प्रस्तुत शिकायतों को बिना किसी जांच के सीधे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। भले ही आयुक्त द्वारा की गई शिकायतों में कुछ सत्यता होती, तब भी उनका परीक्षण किया जाना चाहिए था और सरकार द्वारा सूचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाना अपेक्षित था। मूर्ति शाखा पिछले तीन दशकों से अधिक समय से अपना कार्य कर रही थी, अनेक मूर्तियाँ बरामद की गई थीं तथा प्रकरण दर्ज कर अभियोजन संपन्न किए गए थे। आयुक्त के एक मात्र पत्र के आधार पर अचानक यह मत नहीं बनाया जा सकता था कि विभाग की मूर्ति शाखा अपना कार्य नहीं कर रही है। उच्च पुलिस प्राधिकारी तथा राज्य सरकार किसी भी समय मूर्ति प्रकोष्ठ के किसी अधिकारी के विरुद्ध, यदि उसके द्वारा किसी प्रकार की अति, अनियमितता, दुराचार अथवा कदाचार किए जाने की सूचना प्राप्त होती है, तो उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः सक्षम थे। आयुक्त का दिनांक 31.07.2018 का पत्र इस संबंध में हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग द्वारा पुलिस, उच्च प्राधिकारियों या सरकार को किसी भी लिखित शिकायत का उल्लेख नहीं करता है। मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित करने का निर्णय आयुक्त को प्राप्त शिकायत के आधार पर बिना किसी जांच के एक ही दिन में उतावलेपन में लिया गया था और सरकार का यह निर्णय सूचित निर्णय नहीं कहा जा सकता। [कंडिका 32] [798-एफ-एच; 799-ए-ई]

1.2 उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में दिनांक 01.08.2018 के आदेश को अभिखंडित करने के विस्तृत कारण अभिलिखित किए। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक

21.07.2017 के आदेश द्वारा पहले ही मूर्ति शाखा के अधिकारियों का एक विशेष अन्वेषण दल गठित करने का निर्देश दिया था, ताकि वह अनुसंधान तथा लंबित विचारण की अनुवर्ती कार्यवाही जारी रखे। उक्त आदेश के अनुपालन का प्रश्न न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। अपर पुलिस महानिदेशक से पत्र प्राप्त होने के पश्चात, सरकार के अपर मुख्य सचिव ने दिनांक 01.08.2018 को अपर महाधिवक्ता को अनुरोध करते हुए पत्र लिखा। महाधिवक्ता ने दिनांक 01.08.2018 के पत्र को पीठ के संज्ञान में लाया और तत्पश्चात अपर मुख्य सचिव को यह लिखकर अवगत कराया कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह अभिलिखित किया है कि संचार, निर्णय या आदेश आगामी सुनवाई, जो दिनांक 08.08.2018 को निर्धारित है, में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँ। जब मूर्ति चोरी से संबंधित मामले पहले से ही उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन गठित विशेष अन्वेषण दल द्वारा अनुसंधानाधीन थे, तब राज्य सरकार के लिए यह उपयुक्त था कि वह मामलों के स्थानांतरण हेतु कोई शासकीय आदेश जारी करने से पूर्व न्यायालय को अवगत कराती। किसी भी दृष्टिकोण से, मूर्ति चोरी के मामलों की बड़ी संख्या तथा भविष्य में आने वाले ऐसे मामलों को देखते हुए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो राज्य द्वारा अनुरोधित किए जाने के लिए उपयुक्त अन्वेषण एजेंसी नहीं थी। स्वयं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इतने व्यापक कार्यभार को ग्रहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। अतः उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2018 के शासकीय आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई। [कंडिका 35, 36] [800-ई-एच; 801-ए-सी]

2.1 भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को रिटों के निर्गमन के संबंध में व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है, जो उन्हें पूर्व में प्राप्त नहीं थीं। संविधान का अनुच्छेद 226 अत्यंत व्यापक शब्दों में विन्यस्त है और उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्तियाँ पूर्ण एवं अंतर्निहित दोनों प्रकार की हैं। अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति केवल निर्दिष्ट रिटों के निर्गमन तक सीमित नहीं है, बल्कि उच्च न्यायालय को <u>निर्देश, आदेश या रिट जारी करने</u> की शक्ति प्रदान की गई है, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-

पृच्छा तथा उत्प्रेषण की प्रकृति के रिट सम्मिलित हैं, अथवा भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन हेतु तथा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी। अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति अत्यंत व्यापक प्रकृति की है, जिस पर स्वनिर्धारित सीमाओं के अतिरिक्त कोई प्रतिबंध नहीं है। यह सुविदित है कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं करेगा जो विधि के प्रतिकूल हो। [कंडिका 38, 42] [801-जी-एच; 802-ए-बी; 803-एफ]

भारत का संविधान, दुर्गा दास बसु, खंड 6, 8 वाँ संस्करण, 2010 – संदर्भित।

2.2 विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा इस न्यायालय द्वारा अनेक आदेश पारित किए गए हैं, जिनके माध्यम से ऐसे प्रकरणों में, जहाँ आवश्यकता पाई गई, अनुसंधान करने हेतु विशेष अन्वेषण दल का गठन किया गया। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को भी विशेष अन्वेषण दल का सदस्य बनाया गया है अथवा उन्हें ऐसे दल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। संविधानिक न्यायालयों का अनुच्छेद 226 तथा अनुच्छेद 32 के अधीन क्षेत्राधिकार संविधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नई कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 या 226 के अधीन क्षेत्राधिकार पर कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं किया जा सकता। पर्याप्त कारण होने पर अनुसंधान ऐसे व्यक्ति को भी सौंपा जा सकता है जो सेवानिवृत्त हो चुका हो या सेवा में न हो। उस व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य न्यायालय के आदेश के अधीन होते हैं। ऐसी विविध परिस्थितियाँ एवं अवस्थाएँ हो सकती हैं, जहाँ किसी पूर्व अधिकारी को किसी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुसंधान अथवा अन्य कार्य सौंपा जाता है। जब संविधानिक न्यायालय किसी विशेष अधिकारी को कोई विशिष्ट कार्य करने का निर्देश देते हैं, तो उस आदेश को इस रूप में नहीं माना जा सकता कि उस व्यक्ति को उस पद पर समस्त परिणामों सहित नियुक्त कर दिया गया है। उस अधिकारी को केवल एक विशेष उद्देश्य या विशिष्ट कार्य सौंपा जाता है, जिसे उसे संपादित करना होता है। न्यायालय ऐसे निर्देश जारी करते समय न तो किसी अतिरिक्त संवर्ग पद का सृजन करता है और न ही

किसी पद पर किसी प्रकार की नियुक्ति देकर अधिकारी के पद को प्रभावित करता है। सेवानिवृत्त अधिकारी को किसी विशिष्ट कार्य का दायित्व सौंपे जाने में अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों का कोई उल्लंघन नहीं माना जा सकता। अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के अंतर्गत मंत्रिमंडल सचिव, रक्षा सचिव, गृह सचिव, निदेशक, आसूचना ब्यूरो, सचिव, अनुसंधान एवं विश्लेषण शाखा तथा निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसे पदों पर आसीन व्यक्तियों की सेवा का विस्तार ऐसे काल के लिए किया जा सकता है, जैसा उपयुक्त समझा जाए। उक्त उपबंध पर कोई विवाद नहीं है और न ही वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में उसकी प्रयोज्यता से कोई असहमति है। वर्तमान प्रकरण में सरकार ने उत्तरदाता संख्या 2 की सेवा का विस्तार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी कर उत्तरदाता संख्या 2 को उसकी अधिवर्षिता के पश्चात एक वर्ष की अवधि के लिए चेन्नई स्थित मूर्ति शाखा-अपराध अन्वेषण विभागका प्रमुख विशेष अधिकारी नियुक्त किया, ताकि वह मूर्ति एवं प्राचीन वस्तुओं की चोरी से संबंधित मामलों के सभी चरणों में कार्यवाही कर सके। न्यायालय ने आगे यह भी निर्देश दिया कि "सरकार इस संबंध में आदेश पारित करे।" न्यायालय का स्पष्ट अभिप्राय था कि उपर्युक्त संबंध में सरकार उपयुक्त आदेश पारित करे। सरकार के लिए यह खुला है कि वह ऐसे आदेश जारी करे, जिससे उत्तरदाता संख्या 2 निर्देशानुसार अपने कार्यों का निर्वहन कर सके। महान्यायवादी ने निर्देश संख्या 3 पर आपत्ति की, जिसके द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि उत्तरदाता संख्या 2 को विशेष अधिकारी के रूप में वही वेतन और लाभ प्राप्त होंगे जो उसे सेवानिवृत्ति के समय उपलब्ध थे। उक्त निर्देश पर आपत्ति उठाए जाने पर, उत्तरदाता संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता संख्या 2 इस न्यायालय के आदेशों के अनुसार बिना किसी वेतन और लाभ प्राप्त किए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए तैयार है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था। उच्च न्यायालय को निर्देश संख्या 3 जारी करने के स्थान पर राज्य सरकार को यह विकल्प देना चाहिए था कि

वह या तो उत्तरदाता संख्या 2 को सेवा में बनाए रखे/पुनर्नियोजित करे अथवा वैकल्पिक रूप से उत्तरदाता संख्या 2 को सौंपे गए कर्तव्यों के लिए कोई मानदेय निर्धारित करे। चूँकि राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदाता संख्या 2 पुलिस महानिरीक्षक के पद पर कार्य करना जारी रख सके, अतः न्याय की पूर्ति तब होगी जब राज्य सरकार को यह निर्देश दिया जाए कि वह न्यायालय के आदेश के अधीन जिस अवधि में उत्तरदाता संख्या 2 ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, उस अवधि के लिए उसकी पेंशन के अतिरिक्त कुछ मानदेय का भुगतान करे। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्तरदाता संख्या 2 को पूर्व में जो भी वेतन और लाभ प्रदान किए जा चुके हैं, उन्हें न तो वसूल किया जाएगा और न ही समायोजित किया जाएगा। [कंडिका 48, 53] [808-सी; 811-बी-एच; 812-ए-एफ]

2.3 उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के अधीन अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, उत्तरदाता संख्या 2 को अधिवर्षिता प्राप्त करने के पश्चात भी विशेष अन्वेषण दल का प्रमुख नियुक्त कर अनुसंधान तथा अन्य कार्य करने का निर्देश दे सकता है। अधिवर्षिता के पश्चात उत्तरदाता संख्या 2 को अपराध अन्वेषण विभाग की मूर्ति शाखा में बनाए रखने संबंधी उच्च न्यायालय के निर्देश स्थायित्व रखते हैं। [कंडिका 54] [812-जी]

2.4 उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में उत्तरदाता संख्या 2 को मूर्ति शाखा में बनाए रखने का निर्देश जारी करने से पूर्व उसके प्रत्ययों का सम्यक् परीक्षण किया। उच्च न्यायालय ने यह अभिलिखित किया कि उत्तरदाता संख्या 2 के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि वह मूर्ति शाखा में बनाए रखने योग्य व्यक्ति नहीं है, सिवाय इसके कि उसने अपर पुलिस महानिदेशक को प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया था। उत्तरदाता संख्या 2 को बनाए रखने के कारणों को उच्च न्यायालय ने विस्तार से अभिलिखित किया है। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि दिनांक 01.08.2018 का वह शासकीय आदेश, जिसके द्वारा मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित किया गया

था, निरस्त किया जा चुका है, अतः मूर्तियों के संरक्षक के रूप में, राज्य अभिभावक की भूमिका में न्यायालय के लिए यह न्यायोचित एवं आवश्यक हो गया कि वह अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए एक समाधान का निर्माण करे। कंडिका 36 में न्यायालय ने मूर्ति शाखा द्वारा किए गए कार्य तथा उत्तरदाता संख्या 2 के नेतृत्व में विशेष अन्वेषण दल द्वारा बरामद की गई मूर्तियों का विवरण अभिलिखित किया है। उच्च न्यायालय ने सभी प्रासंगिक अभिलेखों का समुचित परीक्षण करने के पश्चात उत्तरदाता संख्या 2 को मूर्ति शाखा का प्रमुख बनाए रखने का निर्णय लिया। उच्च न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा इस न्यायालय के उन निर्णयों का भी उल्लेख किया है, जिनमें उत्तरदाता संख्या 2 के कार्य एवं आचरण की सराहना की गई थी। [कंडिका 56–58] [813-डी-एफ; जी-एच; 814-एफ; जी-एच]

2.5 जिन शिकायतों का अब उल्लेख किया गया है और जिन पर अपीलकर्ता द्वारा अवलंब किया गया है, वे ऐसी शिकायतें हैं जो उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात प्रस्तुत की गई हैं। ये शिकायतें इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर किए जाने के पश्चात भी प्रस्तुत की गई थीं। उच्च न्यायालय ने अपने निर्देश में यह अभिलिखित किया था कि यदि उत्तरदाता संख्या 2 के विरुद्ध कोई सामग्री उपलब्ध हो, तो उसे आगे के निर्देश हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात प्रस्तुत की गई इन शिकायतों के आधार पर अपीलकर्ता का यह प्रतिपादन कि उत्तरदाता संख्या 2 को दिनांक 30.11.2018 के पश्चात मूर्ति शाखा का प्रमुख बनाए रखने योग्य नहीं था, स्वीकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक अपीलकर्ता का यह प्रतिपादन है कि उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा दिनांक 27.11.2018 को शपथपत्र दायर किए जाने के पश्चात उसे कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया, इस संदर्भ में उस निर्णय का उल्लेख करना समीचीन है, जिसमें उच्च न्यायालय ने अभिलिखित किया कि दिनांक 27.11.2018 को शपथपत्र दायर किए जाने पर इस न्यायालय द्वारा पुनः इसी प्रकार का निर्देश दिया गया था कि यदि कोई

सामग्री उपलब्ध हो तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तथापि, आज तक ऐसी कोई सामग्री न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। उच्च न्यायालय ने सामग्री प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया था, यदि कोई हो। अतः उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 को उसकी अधिवर्षिता के पश्चात भी मूर्ति शाखा का प्रमुख बनाए रखने का निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई। [कंडिका 59] [815-बी-एफ]

द्वारका नाथ बनाम आयकर अधिकारी, **ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 81 : 1965 एस.सी.आर. 536;** *रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य बनाम रोहतास इंडस्ट्रीज स्टाफ यूनियन एवं अन्य*, **(1976) 2 एस.सी.सी. 82 : [1976] 3 एस.सी.आर. 12;** *एयर इंडिया वैधानिक निगम एवं अन्य बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन एवं अन्य,* **(1997) 9 एस.सी.सी. 377 : [1996] 9 परिशिष्ट एस.सी.आर. 579;** *विनीत नारायण एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य,* **(1998) 1 एस.सी.सी. 226 : [1997] 6 परिशिष्ट एस.सी.आर. 595;** *एम.सी. मेहता एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य,* **1987 (1) एस.सी.सी. 395 : [1987] 1 एस.सी.आर. 819;** *गुरुवायूर देवस्वम प्रबंध समिति एवं अन्य बनाम सी.के. राजन एवं अन्य,* **(2003) 7 एस.सी.सी. 546 : [2003] 2 परिशिष्ट एस.सी.आर. 619;** *रणजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा एवं अन्य बनाम किसान बाबूराव हजारे एवं अन्य,* **2004 (3) एम.एच.एल.जे. 760;** *आर. शंकरसुब्बु बनाम पुलिस आयुक्त, एग्मोर, चेन्नई,* **2013 (1) सी.टी.सी. 1; अधिवक्ता संघ,** *बेंगलुरु बनाम भारत संघ एवं अन्य,* **(2013) 10 एस.सी.सी. 611 : [2013] 10 एस.सी.आर. 813;** *सुनीता देवी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य,* **(2018) 3**

एस.सी.सी. 664; *भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बनाम बिहार क्रिकेट संघ एवं अन्य,* **2014 (7) एस.सी.सी. 385 – संदर्भित।**

3. निर्देश संख्या 1 द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 को दिनांक 30.11.2018 को अधिवर्षिता प्राप्त करने के पश्चात चेन्नई स्थित मूर्ति शाखा-अपराध अन्वेषण विभागका प्रमुख विशेष अधिकारी के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में सरकार को आदेश पारित करने के लिए भी निर्देशित किया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उत्तरदाता संख्या 2 को मूर्ति शाखा-अपराध अन्वेषण विभागका प्रमुख विशेष अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु निर्देशित किया जा सकता था, अतः निर्देश संख्या 1 में कोई त्रुटि नहीं है। निर्देश संख्या 2 के संबंध में, उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 21.07.2017 द्वारा विशेष अन्वेषण दल पहले ही गठित किया जा चुका था, जिसे जारी रखने का निर्देश दिया गया था, और इस निर्देश पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। निर्देश संख्या 3 के संबंध में, यह निर्देश दिया गया था कि उत्तरदाता संख्या 2 को विशेष अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल की पूरी अवधि के लिए वही वेतन एवं लाभ प्राप्त होंगे, जो उसे सेवानिवृत्ति के समय उपलब्ध थे। ऐसे निर्देश देने के स्थान पर उच्च न्यायालय को राज्य सरकार को यह विकल्प देना चाहिए था कि वह या तो पुनर्नियोजन/पुनर्नियुक्ति का आदेश पारित करे अथवा उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा आहरित पेंशन के अतिरिक्त कोई मानदेय निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान करे। सुनवाई के दौरान उत्तरदाता संख्या 2 की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि वह उच्च न्यायालय द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन बिना किसी पारिश्रमिक प्राप्त किए भी करने के लिए तैयार है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, निर्देश संख्या 3 में यह संशोधन किया जाता है कि राज्य, उत्तरदाता संख्या 2 को उसकी पेंशन के अतिरिक्त देय मानदेय निर्धारित करेगा। यदि उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में उत्तरदाता संख्या 2 को कोई राशि पूर्व में ही अदा की जा चुकी है, तो उसे न तो वसूल किया जाएगा और न ही समायोजित किया जाएगा। निर्देश संख्या 4 द्वारा उच्च न्यायालय ने विशेष अधिकारी को

मामलों की सम्यक् जाँच करने तथा समस्त प्रतिवेदन सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, ताकि न्यायालय अनुसंधान की निगरानी कर सके। यह अभिलिखित है कि दिनांक 29.11.2018 के आदेश द्वारा एक अपर पुलिस महानिदेशक को मूर्ति शाखा का प्रमुख नियुक्त किया गया था, अतः प्रत्येक प्रतिवेदन की जाँच करने तथा प्रत्येक प्रतिवेदन को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने का भार उच्च न्यायालय पर डालना आवश्यक नहीं था। चूँकि मूर्ति शाखा में एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त था, इसलिए अनुसंधान की प्रगति तथा परिणाम की सूचना अपर पुलिस महानिदेशक को दी जानी चाहिए थी और उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवेदन केवल तब प्रस्तुत करना आवश्यक था जब विशेष अधिकारी को किसी निर्देश की आवश्यकता हो। निर्देश संख्या 4 में इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि अनुसंधान की प्रगति का प्रतिवेदन मूर्ति शाखा के अपर पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा तथा उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन केवल तब प्रस्तुत किया जाएगा जब विशेष अधिकारी को उच्च न्यायालय से आगे निर्देश प्राप्त करना आवश्यक हो। निर्देश संख्या 5 के संबंध में, इस निर्देश द्वारा विशेष अधिकारी को यह निर्देशित किया गया कि वह न केवल लंबित मामलों की जाँच करे, आरोपपत्र प्रस्तुत करे और अभियोजन संचालित करे, बल्कि अपने कार्यकाल के दौरान भविष्य में उत्पन्न होने वाले मामलों में भी इसी प्रकार कार्य करना जारी रखे। इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। निर्देश संख्या 6 के अनुसार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा केंद्र सरकार की अन्य एजेंसियों को विशेष अधिकारी को उपयुक्त सहयोग प्रदान करना जारी रखना होगा। इस पर भी कोई आपत्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने स्वयं दिनांक 19.09.2018 के पत्र द्वारा अपना सहयोग व्यक्त किया था। निर्देश संख्या 7 के संबंध में महान्यायवादी द्वारा गंभीर आपत्ति उठाई गई है। उनका प्रतिपादन है कि उक्त निर्देश उत्तरदाता संख्या 2 को छूट प्रदान करता है। उत्तरदाता संख्या 2 को विधि से ऊपर नहीं माना जा सकता। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। उच्च न्यायालय ने राज्य या किसी सक्षम प्राधिकारी को यह स्वतंत्रता प्रदान की है कि यदि

उत्तरदाता संख्या 2 के विरुद्ध कोई सामग्री हो, तो उसे आगे के निर्देश हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। निर्देश संख्या 7 में दी गई यह स्वतंत्रता राज्य के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा करती है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निर्देश संख्या 8 संबंधित विभागों को विशेष अन्वेषण दल को सहयोग प्रदान करने हेतु संचार से संबंधित है, जिस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। यह अभिलिखित किया जाना आवश्यक है कि मूर्ति शाखा का गठन राज्य द्वारा वर्ष 1983 में किया गया था और अनेक दशकों से यह बिना वित्तीय पहलुओं के संचालन हेतु किसी पृथक प्रभाग के प्रावधान के कार्य कर रही है। वित्तीय पहलुओं के प्रबंधन के लिए ऐसे किसी पृथक प्रभाग के सृजन हेतु निर्देश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मूर्ति शाखा का संचालन बजट आवंटन के अनुसार किया जाना है और किसी आवश्यकता की स्थिति में उच्च पुलिस प्राधिकारी तथा राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही करना सदैव संभव है। अतः वित्तीय पहलुओं से संबंधित निर्देश संख्या 9 को निरस्त किया जाता है। निर्देश संख्या 10 एक सामान्य निर्देश है, जिस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। [कंडिका 60] [815-जी-एच; 816-ए-एच; 817-ए-एच; 818-ए-सी]

4. दिनांक 29.11.2018 के शासकीय आदेश द्वारा पुलिस महानिरीक्षक के पद को उन्नत कर अपर पुलिस महानिदेशक का पद बनाया गया और उसी दिन राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की गई। उक्त दिनांक 29.11.2018 का आदेश विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में चुनौती के अधीन नहीं था, अतः इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा कोई अभिलक्षण करना आवश्यक नहीं था। उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिलक्षण करना कि दिनांक 29.11.2018 का आदेश अप्रासंगिक हो गया है, उचित नहीं था। कंडिका 47 एवं 48 में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया यह अभिलक्षण कि उक्त आदेश अप्रासंगिक हो गया है, अनुमोदित नहीं किया जाता। दिनांक 29.11.2018 का आदेश एक शासकीय आदेश था, जिसे विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में चुनौती नहीं दी गई थी, अतः वह प्रभावी रहेगा और मूर्ति शाखा का प्रमुख दिनांक

29.11.2018 को नियुक्त अपर पुलिस महानिदेशक ही रहेगा। तथापि, विशेष अधिकारी अपनी टीम के साथ सभी उपयुक्त कदम उठाएगा और अनुसंधान के परिणामों का प्रतिवेदन अपर पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत करेगा, ताकि आवश्यक आगे की कार्यवाही की जा सके। [कंडिका 62] [819-बी-ई]

5. जहाँ तक दंड प्रक्रिया संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार वैधानिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का संबंध है, आवश्यक प्रतिवेदन उसी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए जो दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अधिकृत हो। ऐसे अपवादात्मक प्रकरण उत्पन्न हो सकते हैं, जहाँ न्याय की प्राप्ति के उद्देश्य से सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति हेतु निर्देश देना अपरिहार्य हो जाए, किन्तु उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग सभी पक्षों के गुण-दोषों का परीक्षण करने तथा सभी विकल्पों को समाप्त करने के पश्चात, अंतिम उपाय के रूप में ही करना चाहिए। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी अथवा अन्य सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएँ लेना सामान्यतः नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि संबंधित राज्य में सक्षम एवं योग्य अधिकारियों का अभाव नहीं होता है। अतः जब भी न्यायालय को सेवानिवृत्त अधिकारियों या कार्मिकों की सेवाओं का सहारा लेना आवश्यक प्रतीत हो, तब उसे आवश्यक सावधानी के साथ तथा केवल अत्यंत वैध और अपरिहार्य परिस्थितियों में ही ऐसा करना चाहिए। [कंडिका 63] [819-एफ-एच; 820-ए-बी]

<u>नज़ीर संदर्भ</u>

1965 एस.सी.आर. 536	संदर्भित	कंडिका 39
[1976] 3 एस.सी.आर. 12	संदर्भित	कंडिका 40
[1996] 9 पूरक एस.सी.आर. 579	संदर्भित	कंडिका 41
[1997] 6 पूरक एस.सी.आर. 595	संदर्भित	कंडिका 44
[1987] 1 एस.सी.आर. 819	संदर्भित	कंडिका 46
[2003] 2 पूरक एस.सी.आर. 619	संदर्भित	कंडिका 47

2004 (3) एम.एच.एल.जे. 760	**संदर्भित**	**कंडिका 48**
2013 (1) सी.टी.सी. 1	**संदर्भित**	**कंडिका 49**
[2013] 10 एस.सी.आर. 813	**संदर्भित**	**कंडिका 50**
(2018) 3 एस.सी.सी. 664	**संदर्भित**	**कंडिका 51**
2014 (7) एस.सी.सी. 385	**संदर्भित**	**कंडिका 52**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2019 की दीवानी अपील संख्याएँ 3918–3919

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्याएँ 20392 तथा 20963 वर्ष 2018 में दिनांक 30.11.2018 को पारित निर्णय एवं आदेश से उद्भूत।

के. के. वेणुगोपाल, महान्यायवादी, बालाजी श्रीनिवासन, अपर महाधिवक्ता, मुकुल रोहतगी, आर. बसंत, जयदीप गुप्ता, मोहन परासरन, वरिष्ठ अधिवक्ता, बी. विनोद कन्ना, सुश्री पल्लवी सेनगुप्ता, सुश्री वलारमाथी, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, सुश्री श्रद्धा देशमुख, अंकुर, बी. वी. बलरामदास, मयिलसामी के., के. मुथु गणेश पांडियन, एन. आर. मौर्य, पी. सोमसुंदरम, सुश्री वृंदा ग्रोवर, डॉ. अनिंदिता पुजारी, सौतिक बनर्जी, सुश्री आरती कृपा कुमार, गगन गुप्ता, आर. आनंद पद्मनाभन, प्रवल चतुर्वेदी, सुश्री निशाका त्यागी, अरविंद एस., शशि भूषण कुमार, अश्विन कुमार डी. एस., अदिति दानी, डी. एल. चिदानंद, जी. एस. मणि, लुईश एडवर्ड, आर. सी. शर्मा, आर. सतीश, सुश्री पूर्विता मित्रा, आर. नवीनराज, के. वी. विजयकुमार, अधिवक्ता, उपस्थित पक्षकारों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण** द्वारा दिया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. तमिलनाडु राज्य तथा उसके पदाधिकारीगण ने इन अपीलों को दायर किया है, जो मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्याएँ 20392 तथा 20963 वर्ष 2018 में, जिन्हें उत्तरदाताओं द्वारा जनहित वाद (लोकहित वाद) के रूप में दायर किया गया था, दिनांक 30.11.2018 को पारित सामान्य निर्णय के विरुद्ध हैं।

3. तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो अपने भव्य मंदिरों, समृद्ध संस्कृति एवं विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसके विभिन्न मंदिरों में प्रतिष्ठित मूर्तियों का अपना विशेष महत्व, समृद्ध परंपरा एवं विरासत है और इनमें से कुछ मूर्तियाँ लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुरानी हैं। तमिलनाडु राज्य में मूल्यवान मूर्तियों एवं कलाकृतियों की चोरी की अनेक घटनाएँ हुई हैं, जिससे राज्य सरकार चिंतित हुई। राज्य सरकार ने अपने शासकीय आदेश संख्या 2098, गृह (पुलिस-IV) विभाग, दिनांक 07.10.1983 के द्वारा अपराध अन्वेषण विभाग की एक मूर्ति शाखा का गठन किया। तमिलनाडु के मंदिरों का प्रशासन तमिलनाडु हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम, 1959 (जिसे आगे "अधिनियम, 1959" कहा गया है) के अधीन किया जाता है। राज्य का हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग (जिसे आगे "एच.आर. एंड सी.ई. विभाग" कहा गया है) राज्य के विभिन्न मंदिरों का नियंत्रण एवं प्रशासन करता है। एच.आर. एंड सी.ई. विभाग मंदिरों, उनकी संपत्तियों, मूर्तियों तथा कलाकृतियों आदि का प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है।

4. श्री ए.जी. पोन मणिक्कावेल, जो वर्तमान प्रकरण में उत्तरदाता संख्या 2 हैं और जिन्हें आगे "उत्तरदाता संख्या 2" कहा जाएगा, को दिनांक 11.02.2012 को चेन्नई स्थित मूर्ति शाखा में पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, जो तमिलनाडु पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा का एक भाग था। इस शाखा का मुख्य कार्य मूर्ति चोरी के प्रकरणों का प्रभावी अन्वेषण, पता लगाना तथा अनुवर्ती कार्यवाही करना और उनसे संबंधित न्यायालयीन मामलों का अनुसरण करना है। उत्तरदाता संख्या 2 तब से मूर्ति सेवा शाखा में कार्यरत रहे।

5. दो व्यक्तियों, अर्थात् श्री आर. वेंकटरामन तथा श्री एलीफेंट जी. राजेन्द्रन, जो वर्तमान प्रकरण में उत्तरदाता संख्या 1 हैं, ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दं.प्र.सं. की धारा 482 के अधीन याचिकाएँ दायर कीं, जिन्हें दांडिक मूल याचिका संख्या 8960 वर्ष 2017 तथा दांडिक मूल याचिका संख्या 12060 वर्ष 2017 के रूप में अभिलिखित किया

गया। दांडिक मूल याचिका संख्या 8960 वर्ष 2017 में यह प्रार्थना की गई कि हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग से संबंधित 06 मूर्तियों की चोरी के संबंध में अनुसंधान को तमिलनाडु पुलिस की मूर्ति शाखा को स्थानांतरित किया जाए तथा दांडिक मूल याचिका संख्या 12060 वर्ष 2017 में यह प्रार्थना की गई कि मूर्ति चोरी से संबंधित एक प्राथमिकी को मूर्ति चोरी शाखा, सीआईडी, चेन्नई से अपराध शाखा, सीआईडी, चेन्नई को स्थानांतरित किया जाए।

6. दांडिक मूल याचिका संख्या 8960 वर्ष 2017 में याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रकरण तंजावुर जिले स्थित श्री पशुपतीश्वरर मंदिर से संबंधित था, जिसका निर्माण चोल शासनकाल में लगभग 1500 से 2000 वर्ष पूर्व हुआ था और जिसमें याचिकाकर्ता के अनुसार अनेक प्राचीन मूर्तियाँ स्थापित थीं। यह आरोप लगाया गया कि ऐसी ही 06 मूर्तियाँ मंदिर से लापता हो गई थीं, जिसके संबंध में पुलिस अधिकारियों तथा हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग के अधिकारियों को शिकायतें की गई थीं। अनेक शिकायतों के बावजूद न तो कोई प्राथमिकी दर्ज की गई और न ही एच.आर. एंड सी.ई. विभाग के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई। आगे यह भी अभिव्यक्त किया गया कि एच.आर. एंड सी.ई. विभाग के अधिकारी चोरी के अपराध की जांच के लिए उपयुक्त प्राधिकारी नहीं हैं, अतः इस संबंध में उचित निर्देश देने की प्रार्थना की गई।

7. श्री एलीफेंट जी. राजेन्द्रन, जो इस अपील में उत्तरदाता संख्या 1 हैं, ने दांडिक मूल याचिका संख्या 12060 वर्ष 2017 दायर करते हुए यह आरोप लगाया कि एक पुलिस अधिकारी ने अपने अन्वेषण के दौरान प्राप्त छह मूर्तियों को 6 करोड़ रुपये में बेच दिया। यह भी कहा गया कि यद्यपि अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी, फिर भी उन्हें पदोन्नत कर दिया गया और उनके विरुद्ध कोई आगे की कार्यवाही नहीं की गई। आगे यह आरोप भी लगाया गया कि उसी शाखा के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की जा रही जांच प्रभावी ढंग से संचालित नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त यह भी आरोप लगाया गया कि

कई करोड़ रुपये मूल्य की मूर्तियाँ न्यासों द्वारा एच.आर. एंड सी.ई. अधिकारियों के साथ मिलीभगत से बेची गईं।

8. मद्रास उच्च न्यायालय ने दोनों दांडिक मूल याचिकाओं का निस्तारण अपने दिनांक 21.07.2017 के निर्णय द्वारा किया। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने मूर्ति शाखा के पुलिस महानिरीक्षक को तलब किया, जो उस समय द्वितीय प्रतिवादी थे। मूर्ति शाखा के पुलिस महानिरीक्षक न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने न्यायालय को उन विभिन्न कठिनाइयों एवं कमियों से अवगत कराया, जिनके कारण मूर्ति चोरी के मामलों का पता लगाने तथा अपराधियों को विधि के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। दिनांक 30.06.2017 की सुनवाई के दौरान यह भी न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि उत्तरदाता संख्या 2, जो उस समय मूर्ति शाखा में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत थे, का स्थानांतरण कर दिया गया है। न्यायालय ने अभिलिखित किया कि उक्त अधिकारी, अर्थात् उत्तरदाता संख्या 2, इन मामलों की निगरानी कर रहे थे और उन्होंने कई करोड़ रुपये मूल्य की मूर्तियों का सफलतापूर्वक पता लगाकर उनकी बरामदगी की थी। न्यायालय ने आगे यह भी अभिलिखित किया कि ऐसा नहीं है कि उनके स्थान पर नियुक्त अधिकारी कम दक्ष हैं, किन्तु यह ध्यान में रखते हुए कि उत्तरदाता संख्या 2 तथा उनकी टीम ने देशभर में व्यापक रूप से भ्रमण किया है और अपराधियों की कार्यप्रणाली से भली-भांति परिचित हैं, निरंतरता बनाए रखने, अनुसंधान को शीघ्र पूर्ण करने तथा लंबित मामलों का निस्तारण करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि उत्तरदाता संख्या 2, वर्तमान में उन्हें सौंपे गए कार्य के बावजूद, इस कार्य में बने रहें। मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.07.2017 को तमिलनाडु राज्य को कुल 20 निर्देश जारी किए, जिनमें से प्रथम चार निर्देश निम्नलिखित हैं:

> "(i) तमिलनाडु राज्य के मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर उपयुक्त आदेश जारी करने होंगे, जिससे तिरुचिरापल्ली में एक विशेष शिविर की

स्थापना की जा सके, जिसका नेतृत्व श्री ए.जी. पोन मणिक्कावेल, आईपीएस, पुलिस महानिरीक्षक करेंगे, तथा उनके साथ मूर्ति शाखा के वे अन्य सदस्य होंगे जो पूर्व में उनके साथ संबद्ध रहे हैं, ताकि राज्य में लंबित मामलों के विचारण को पूर्ण किया जा सके। यह भी स्पष्ट है कि आवश्यक अवसंरचना, कर्मी, परिवहन, वाहन, ईंधन आदि समय-समय पर उपलब्ध कराए जाएँ। उक्त अधिकारी अपने लिए आवश्यक सहायता तथा टीम के सदस्यों के संबंध में तत्काल मुख्य सचिव को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और ऐसे प्रतिवेदन पर आवश्यक व्यवस्थाएँ तुरंत प्रदान की जाएँगी।

(ii) तमिलनाडु राज्य के विभिन्न न्यायालयों में लंबित वे प्रकरण, जिनका अभियोजन मूर्ति शाखा द्वारा किया जा रहा है, उन्हें प्रभावी एवं शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से दिन-प्रतिदिन के आधार पर विचारण हेतु, माननीय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कुंभकोणम के अभिलेख पर स्थानांतरित किए जाते हैं।

(iii) पुलिस महानिरीक्षक श्री ए.जी. पोन मणिक्कावेल, आईपीएस तथा मूर्ति शाखा, अपराध अन्वेषण विभागसे संबंधित सभी मामलों के अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे विचाराधीन तथा लंबित परीक्षणाधीन सभी मामलों की जांच एवं अनुवर्ती कार्यवाही जारी रखें, जब तक कि माननीय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कुंभकोणम द्वारा उनका निस्तारण नहीं कर दिया जाता।

(iv) इस न्यायालय द्वारा वर्तमान में गठित दल, जिसका नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक श्री ए.जी. पोन मणिक्कावेल, आईपीएस कर रहे हैं, उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे जहाँ भी पदस्थापित हों, अपने वर्तमान तथा भावी दायित्वों के अतिरिक्त इन मामलों का अनुवर्ती अनुसरण करते रहें।....."

9. पुलिस महानिदेशक ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.07.2017 को पारित आदेश से आहत होकर विशेष अनुमति याचिका (दांडिक) संख्याएँ 6139-6140 वर्ष 2017 दायर की, जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 01.09.2017 के आदेश द्वारा निम्नलिखित प्रकार से निस्तारित किया:

> "याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी तथा उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जे. साई दीपक अय्यर को सुनने एवं अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत, हम यह उपयुक्त समझते हैं कि पुलिस महानिरीक्षक श्री ए.जी. पोन मणिक्कावेल के स्थानांतरण के दुर्भावनापूर्ण स्वरूप से संबंधित निष्कर्षों को हटाया जाए। तदनुसार आदेश दिया जाता है।
>
> तथापि, पुलिस महानिरीक्षक श्री ए.जी. पोन मणिक्कावेल के स्थानांतरण के संबंध में आदेश यथावत् रहेगा।
>
> उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, विशेष अनुमति याचिकाएँ निस्तारित की जाती हैं।
>
> फलस्वरूप, लंबित अंतरिम आवेदन, यदि कोई हों, भी निस्तारित माने जाएँगे।"

10. इस न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 21.07.2017 के उन निर्देशों में हस्तक्षेप नहीं किया, जिनके द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 को अपराध अन्वेषण विभागकी मूर्ति शाखा का प्रमुख बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 21.07.2017 के आदेश द्वारा मामले का अंतिम निस्तारण नहीं किया था, बल्कि अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु उसे स्थगित कर दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष यह अवगत कराया गया कि राज्य द्वारा दिनांक 21.07.2017 को जारी विभिन्न निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है और मूर्ति शाखा के विभिन्न कार्यों के

निर्वहन में बाधाएँ उत्पन्न की जा रही हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अनेक प्राथमिकी दर्ज की गईं, जिनके परिणामस्वरूप कई अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग के कुछ अधिकारी भी सम्मिलित थे। दिनांक 21.07.2017 के आदेश में, दांडिक मूल याचिका संख्या 8690 वर्ष 2017 तथा दांडिक मूल याचिका संख्या 12060 वर्ष 2017 में, उच्च न्यायालय ने न्यायालय द्वारा गठित मूर्ति शाखा को उचित अवसंरचना उपलब्ध न कराए जाने के संबंध में कुछ अभिलक्षण भी किए थे।

11. दिनांक 31.07.2018 को हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग के आयुक्त ने चेन्नई स्थित पुलिस महानिदेशक को एक अर्द्ध-आधिकारिक (डी.ओ.) पत्र लिखा। उक्त पत्र में आयुक्त ने अभिलिखित किया कि पुलिस की मूर्ति शाखा एच.आर. एंड सी.ई. विभाग के अधिकारियों को प्रताड़ित कर रही है तथा उन्हें प्राथमिकी दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। आयुक्त के संज्ञान में लाए गए एच.आर. एंड सी.ई. विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई कुछ शिकायतों का भी उल्लेख किया गया। आयुक्त ने राज्य से यह अनुरोध किया कि निष्पक्ष एवं गोपनीय अन्वेषण सुनिश्चित करने तथा दोषियों को दंडित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए, साथ ही ईमानदार अधिकारियों एवं विभाग की प्रतिष्ठा को क्षति न पहुँचे। आयुक्त ने यह भी अनुरोध किया कि शीघ्र आरोपपत्र प्रस्तुत किए जाएँ और अभियोजन प्रारंभ किया जाए, जिससे प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो सके, अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित हो तथा मूर्तियों को संबंधित मंदिरों में पुनः स्थापित किया जा सके।

12. उक्त पत्र पर, अपर पुलिस महानिदेशक ने उसी दिन, अर्थात् 31.07.2018 को, पुलिस महानिदेशक को लिखते हुए उल्लेख किया कि मामलों की जांच के दौरान एच.आर. एंड सी.ई. विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक ने यह अनुशंसा की कि मूर्ति चोरी के मामलों हेतु गठित विशेष दल द्वारा अन्वेषणाधीन सभी मामलों तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी

मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया जाए। दिनांक 01.08.2018 को पुलिस महानिदेशक ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अपर पुलिस महानिदेशक के विचारों से सहमति व्यक्त करते हुए मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित करने की अनुशंसा की। उसी दिन, अपर मुख्य सचिव ने मद्रास उच्च न्यायालय के अपर महाधिवक्ता को पत्र लिखकर इस घटनाक्रम से अवगत कराया। पत्र के अंत में अपर मुख्य सचिव ने यह उल्लेख किया कि सरकार के निर्णय से उच्च न्यायालय को अवगत कराया जाए और जब उपर्युक्त मामलों की सुनवाई हो, तब यह भी स्पष्ट किया जाए कि क्या न्यायालय से किसी आदेश की आवश्यकता है। इसी दिन, 01.08.2018 को, तमिलनाडु के अपर महाधिवक्ता ने अपर मुख्य सचिव को सूचित किया कि उन्होंने दिनांक 01.08.2018 के संप्रेषण को मद्रास उच्च न्यायालय के संज्ञान में ला दिया है, जिस पर पीठ ने यह अभिलिखित किया कि उक्त संप्रेषण, निर्णय या आदेश को अगली सुनवाई, जो दिनांक 08.08.2018 को निर्धारित है, में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसी दिन, 01.08.2018 को, राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर मूर्ति चोरी के मामलों के लिए गठित विशेष दल द्वारा अन्वेषणाधीन सभी मामलों तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।

13. दो विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाएँ, अर्थात् विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 20392 वर्ष 2018 – एलीफेंट जी. राजेन्द्रन बनाम तमिलनाडु राज्य तथा विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 20963 वर्ष 2018 – ट्रैफिक डॉ. के.आर. रामास्वामी बनाम राज्य एवं अन्य, मद्रास उच्च न्यायालय में इस प्रार्थना के साथ दायर की गईं कि दिनांक 01.08.2018 के उस शासकीय आदेश को निरस्त किया जाए, जिसके द्वारा अन्वेषण को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित किया गया था। उक्त विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाओं की सुनवाई खंडपीठ द्वारा की गई और उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने दिनांक 30.11.2018 के निर्णय द्वारा दोनों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिनांक 01.08.2018 के शासकीय आदेश को निरस्त कर

दिया तथा अनेक निर्देश जारी किए। न्यायालय का निष्कर्ष कंडिका संख्या 45 में अभिलिखित है। कंडिका संख्या 45 से 48 में उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिलिखित किया है:

> "45. यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी प्रकार के आदेश पारित करने के लिए सक्षम है। हमने पहले ही इस विषय के प्रति राज्य के असंवेदनशील व्यवहार पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया गया है। हमने यह भी अभिलिखित किया है कि हम श्री ए.जी. पोन मणिक्कावेल, आईपीएस, पुलिस महानिरीक्षक के प्रत्ययों तथा उनके द्वारा अनुसंधान की प्रक्रिया में उठाए गए कदमों से संतुष्ट हैं। अतः निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं, जिनका राज्य द्वारा तत्काल अनुपालन किया जाएगा:
>
> (1) श्री ए.जी. पोन मणिक्कावेल, आईपीएस, पुलिस महानिरीक्षक को इस प्रकार एक विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चेन्नई स्थित मूर्ति शाखा-अपराध अन्वेषण विभागका प्रमुख होकर मूर्तियों एवं प्राचीन वस्तुओं की चोरी से संबंधित मामलों के सभी चरणों में कार्यवाही करेंगे, एक वर्ष की अवधि के लिए। वे दिनांक 30.11.2018 को अधिवर्षिता प्राप्त करने के पश्चात तत्काल कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा उसी शिविर से समान सुविधाओं के साथ कार्य करेंगे। इस संबंध में सरकार आवश्यक आदेश पारित करेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार द्वारा उपयुक्त आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की विलंबता, श्री ए.जी. पोन मणिक्कावेल, आईपीएस की टीम का नेतृत्व करने, मामलों की जांच करने तथा विधि के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने की शक्तियों को

सीमित नहीं करेगी।

(2) इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.07.2017 के आदेश के आधार पर गठित विशेष दल के सदस्य उसी प्रकार दल का भाग बने रहेंगे और श्री ए.जी. पोन मणिक्कावेल, आईपीएस द्वारा जिन सदस्यों की आवश्यकता बताई जाएगी, उन्हें तमिलनाडु पुलिस बल से सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) श्री ए.जी. पोन मणिक्कावेल, आईपीएस, पुलिस महानिरीक्षक को विशेष अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल की संपूर्ण अवधि के लिए वही वेतन एवं लाभ प्राप्त होंगे, जो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय उपलब्ध थे।

(4) इस प्रकार नियुक्त विशेष अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह मामलों की सम्यक् एवं विस्तृत जाँच करे तथा समय-समय पर विधि के अनुसार सभी प्रतिवेदन सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे और साथ ही इस न्यायालय के समक्ष सीलबंद लिफाफे में भी प्रस्तुत करे, ताकि यह न्यायालय अनुसंधान की निगरानी कर सके।

(5) विशेष अधिकारी एवं उनकी टीम को निर्देशित किया जाता है कि वे न केवल लंबित मामलों की जाँच करें, आरोपपत्र दाखिल करें तथा अभियोजन संचालित करें, बल्कि अपने कार्यकाल के दौरान अथवा इस न्यायालय के अगले आदेश तक भविष्य में उत्पन्न होने वाले मामलों में भी इसी प्रकार कार्य करना जारी रखें।

(6) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा केंद्र सरकार की अन्य एजेंसियाँ विशेष अधिकारी एवं उनकी टीम को आवश्यक एवं उपयुक्त सहयोग प्रदान करती रहेंगी।

(7) विशेष अधिकारी अथवा उनकी टीम के किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही या जांच इस न्यायालय की सहमति के बिना प्रारंभ नहीं की जाएगी। यदि आवश्यक कार्यवाही हेतु कोई सामग्री उपलब्ध हो, तो उसे आगे के निर्देशों के लिए इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(8) राज्य तत्काल उपयुक्त संप्रेषण जारी करेगा, जिससे राज्य के संबंधित विभागों, जिनमें एच.आर. एंड सी.ई. विभाग भी सम्मिलित है, को विशेष अन्वेषण दल को पूर्ण सहयोग प्रदान करने तथा उनके द्वारा मांगी गई आवश्यक सूचनाएँ एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया जा सके।

(9) राज्य को निर्देशित किया जाता है कि वह टीम के कार्यों के वित्तीय पहलुओं के संचालन हेतु एक पृथक प्रभाग का गठन करे, जिससे धन की कमी के कारण किसी भी कार्य में विलंब न हो। इस उद्देश्य के लिए एक पृथक खाता भी स्थापित किया जाए तथा दैनिक व्ययों की पूर्ति हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाए।

(10) इस न्यायालय द्वारा जारी सभी निर्देशों का बिना किसी विलंब या आपत्ति के अनुपालन किया जाएगा तथा की गई कार्यवाही के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

46. उपरोक्त निर्देशों के साथ, विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। परिणामस्वरूप, संबंधित अन्य याचिकाएँ, अर्थात् डब्ल्यू.एम.पी. संख्याएँ 23975, 23976, 24609 तथा 26868 वर्ष 2018, निरस्त की जाती हैं। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

47. जब हम यह आदेश उच्चारित करने वाले थे, तब विनिर्दिष्ट आदेश

याचिका संख्या 20392 वर्ष 2018 के याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी पुलिस नोट संख्या एस.सी./19/2018 दिनांक 29.11.2018 की प्रति प्रस्तुत की, जिससे यह संकेत मिलता है कि श्री अभय कुमार सिंह, आईपीएस, अपर पुलिस महानिदेशक/मुख्य सतर्कता अधिकारी, तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड, करूर को स्थानांतरित कर चेन्नई स्थित मूर्ति शाखा, अपराध अन्वेषण विभागमें अपर पुलिस महानिदेशक के रूप में पदस्थापित किया गया है, जिसके लिए मूर्ति शाखा, अपराध अन्वेषण विभागमें पुलिस महानिरीक्षक के पद को उन्नत किया गया है।

48. हमारा यह मत है कि राज्य प्रारंभ से ही मूर्ति चोरी के मामलों की जांच को जारी रखने के प्रति इच्छुक नहीं रहा है, क्योंकि इन मामलों को इस न्यायालय के स्थगन आदेश के लंबित रहने के बावजूद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि आदेश सुरक्षित रखे जाने के पश्चात, राज्य ने दिनांक 29.11.2018 के आदेश द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक के पद को उन्नत कर एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी, जो कि अनुचित कार्यवाही है और यह इस तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि दिनांक 01.08.2018 को एक ही दिन में मामलों का स्थानांतरण अत्यंत उतावलेपन में किया गया था। इसी प्रकार, जिस प्रकार वर्तमान दिनांक 29.11.2018 का आदेश पारित किया गया है, वह स्वयं बहुत कुछ दर्शाता है। अतः, दिनांक 29.11.2018 के शासकीय आदेश के होते हुए भी, जो अब अप्रासंगिक हो चुका है, श्री तिरु ए.जी. पोन मणिक्कावेल विशेष अधिकारी के रूप में मूर्ति शाखा का कार्यभार ग्रहण करेंगे, जैसा कि हमारे द्वारा निर्देशित किया गया है, ताकि मूर्तियों का संरक्षण किया जा सके तथा चोरी हुई मूर्तियों की पुनः प्राप्ति सुनिश्चित कर इस देश की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की जा

सके।"

14. उक्त निर्णय से व्यथित होकर तमिलनाडु राज्य ने ये अपीलें दायर की हैं।

15. श्री के. के. वेणुगोपाल, विद्वान महान्यायवादी, तमिलनाडु राज्य की ओर से उपस्थित हुए। श्री मुकुल रोहतगी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक की ओर से उपस्थित हुए। हमने उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बसंत को भी सुना, साथ ही जनहित वाद के याचिकाकर्ता ट्रैफिक डॉ. के.आर. रामास्वामी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को भी सुना। हमने हस्तक्षेपकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को भी सुना। श्री मोहन परासरन, वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्तरदाता संख्या 9 की ओर से उपस्थित हुए।

16. विद्वान महान्यायवादी ने यह प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के अधीन अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करते हुए उत्तरदाता संख्या 2 को मूर्ति शाखा का प्रमुख विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया, जबकि उत्तरदाता संख्या 2 को दिनांक 30.11.2018 को अधिवर्षिता प्राप्त होने वाली थी। विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में चुनौती केवल दिनांक 01.08.2018 के उस शासकीय आदेश के विरुद्ध थी, जिसके द्वारा अपराध अन्वेषण विभागकी मूर्ति शाखा द्वारा किए जा रहे अन्वेषण को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित किया गया था। ऐसी कोई प्रार्थना किए बिना ही उत्तरदाता संख्या 2 को अधिवर्षिता के पश्चात भी मूर्ति शाखा का प्रमुख बने रहने का निर्देश दिया गया। उत्तरदाता संख्या 2, अधिवर्षिता के पश्चात, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी पुलिस अधिकारी को निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता था। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, प्राथमिकी दर्ज करने, अनुसंधान करने या आरोपपत्र प्रस्तुत करने के प्रयोजनों के लिए पुलिस अधिकारी नहीं माना जा सकता, और न ही वह न्यायालय में अभियोजन प्रस्तुत कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा मूर्ति चोरी के मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने हेतु उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित करना पूर्णतः उचित था। यहाँ तक कि दांडिक मूल याचिका

संख्या 8960 वर्ष 2017 तथा दांडिक मूल याचिका संख्या 12060 वर्ष 2017 की सुनवाई के दौरान विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी यह अभिलिखित किया था कि यदि मूर्ति शाखा को उपयुक्त अवसंरचना एवं सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, तो न्यायालय अन्वेषण को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का निर्देश दे सकता है।

17. विद्वान महान्यायवादी का यह भी प्रतिपादन है कि उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के अधीन अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, पुलिस अधिनियम, 1861 की धाराओं 3 एवं 4 के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त पुलिस अधीक्षक संबंधी शक्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 226 के अधीन यह अधिकार क्षेत्र नहीं है कि उच्च न्यायालय कार्यपालिका के पूर्ण विकसित अंग (मूर्ति शाखा-सीआईडी) को कार्यपालिका के नियंत्रण से अपने अधीन ले ले। उत्तरदाता संख्या 2 को मूर्ति शाखा-अपराध अन्वेषण विभागका प्रमुख विशेष अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश राज्य को अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया। राज्य सरकार ने दिनांक 29.11.2018 के शासकीय आदेश द्वारा श्री अभय कुमार सिंह को अपर पुलिस महानिदेशक, मूर्ति शाखा-सीआईडी, चेन्नई के रूप में नियुक्त किया था, जिसे उच्च न्यायालय ने त्रुटिपूर्वक अप्रासंगिक घोषित कर दिया। जब उत्तरदाता संख्या 2 को दिनांक 30.11.2018 को अधिवर्षिता प्राप्त होने वाली थी, तब राज्य द्वारा मूर्ति शाखा-अपराध अन्वेषण विभागके नेतृत्व हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करना पूर्णतः न्यायोचित था। उच्च न्यायालय द्वारा कंडिका 45 में उल्लिखित निर्देश अनुच्छेद 226 के अधीन उसके क्षेत्राधिकार की सीमा से परे हैं। यद्यपि इस न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अनेक मामलों में सेवानिवृत्त व्यक्तियों से अनुसंधान कराने के निर्देश दिए हैं, तथापि किसी भी मामले में यह प्रश्न निर्णीत नहीं किया गया कि क्या उच्च न्यायालय को सेवानिवृत्त व्यक्तियों से अनुसंधान कराने का निर्देश देने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन इस न्यायालय को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, वे उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अधीन उपलब्ध नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के अधीन अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग

करते हुए वस्तुतः इस न्यायालय को अनुच्छेद 142 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग किया है। यह भी अभिलिखित किया गया कि उत्तरदाता संख्या 2 ने मामलों का विवरण प्रस्तुत किया था, ताकि उन्हें उसके अनुरोध के अनुसार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित किया जा सके।

18. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी, जो पुलिस महानिदेशक की ओर से उपस्थित हुए, ने यह प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय अनुच्छेद 226 के क्षेत्राधिकार से परे है। यह भी कहा गया कि उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता संख्या 2 को अधिवर्षिता के पश्चात भी सेवा में बनाए रखने का निर्देश देकर त्रुटि की है।उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता संख्या 2 के कार्य-निष्पादन के संबंध में उसके विरुद्ध अनेक शिकायतें रही हैं और वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे अधिवर्षिता के पश्चात भी मूर्ति शाखा का प्रमुख बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। यह भी कहा गया कि विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाओं में उत्तरदाता संख्या 2 ने दिनांक 27.11.2018 को कुछ आत्म-समर्थनकारी दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनके संबंध में अपीलकर्ताओं को उनका खंडन करने का कोई अवसर नहीं दिया गया, जबकि उत्तरदाता संख्या 2 ने यह दावा किया था कि उसने मूर्ति चोरी एवं बरामदगी से संबंधित मामलों में उल्लेखनीय कार्य किया है। श्री रोहतगी ने एक व्यक्ति, सुभाष चंद्र कपूर, के प्रत्यर्पण का भी उल्लेख किया, जिसे जर्मनी से प्रत्यर्पित किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सुभाष चंद्र कपूर के मामले में अनावश्यक विलंब के कारण अन्य प्रत्यर्पण से संबंधित कई प्रकरणों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। यह प्रस्तुत किया गया कि सुभाष चंद्र कपूर के अभियोजन के संबंध में मूर्ति शाखा की निष्क्रियता के कारण अन्य अभियुक्तों के प्रत्यर्पण से संबंधित प्रकरणों की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। यह भी कहा गया कि उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय ने उत्तरदाता संख्या 2 को एक प्रकार का संरक्षण प्रदान कर दिया है, जिससे वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं रह गया है। यह तर्क भी दिया गया कि दिनांक 29.11.2018 के उस आदेश को, जिसके द्वारा अपर पुलिस

महानिदेशक को मूर्ति शाखा का प्रमुख नियुक्त किया गया था, चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त आदेश को न तो चुनौती दी गई और न ही निरस्त किया गया, अतः जब एक वरिष्ठ अधिकारी (अपर पुलिस महानिदेशक) नियुक्त है, तब उत्तरदाता संख्या 2 को मूर्ति शाखा का प्रमुख बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। श्री रोहतगी ने यह भी प्रस्तुत किया कि जनहित याचिका के याचिकाकर्ता एलीफेंट जी. राजेन्द्रन ने दिनांक 30.11.2018 से पूर्व ही सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि उत्तरदाता संख्या 2 को मूर्ति शाखा का प्रमुख बनाए रखा जाए। अतः जनहित याचिकाओं के दाखिल किए जाने में कोई सद्भावना नहीं है और जनहित याचिकाकर्ता तथा उत्तरदाता संख्या 2 के बीच मिलीभगत है।

19. अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 24724 वर्ष 2019 में आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता संख्या 2 ने निरंतर एच.आर. एंड सी.ई. विभाग के अधिकारियों की छवि धूमिल करने एवं उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया है। यह भी कहा गया कि एच.आर. एंड सी.ई. विभाग के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों को बिना किसी ठोस आधार के गिरफ्तार किया गया। आयुक्त द्वारा दिनांक 31.07.2018 को पुलिस महानिदेशक को लिखे गए पत्र में मूर्ति शाखा के अनेक कथित कदाचारों का उल्लेख किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि एच.आर. एंड सी.ई. विभाग के अधिकारियों की अनावश्यक रूप से आलोचना एवं निंदा की गई है। अतः यह निवेदन किया गया कि आवेदक को इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि इस न्यायालय को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराया जा सके।

20. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन परासरन, जो उत्तरदाता संख्या 9 की ओर से उपस्थित हुए, ने यह प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता संख्या 9 न तो आवश्यक पक्षकार है और न ही उपयुक्त पक्षकार, जिसे अनावश्यक रूप से उच्च न्यायालय में दायर विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में सम्मिलित किया गया है। यह भी कहा गया कि उत्तरदाता संख्या 9 एक सम्मानित व्यक्ति है और उसके विरुद्ध गलत आरोप लगाए गए हैं। उसे अनावश्यक रूप से

इस वाद में घसीटा गया है, जबकि वह समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है।

21. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बसंत, जो जनहित याचिका के याचिकाकर्ता एलीफैंट जी. राजेन्द्रन की ओर से उपस्थित हुए, ने विद्वान महान्यायवादी के तर्कों का खंडन करते हुए यह प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का निर्णय अनुच्छेद 226 के क्षेत्र एवं परिधि के भीतर पूर्णतः न्यायसंगत है। श्री बसंत ने यह भी कहा कि जनहित याचिकाकर्ता की सद्भावना पर प्रश्न उठाना एक पश्चातविचार है और उसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जनहित याचिकाकर्ता ने उल्लेखनीय सार्वजनिक कार्य किए हैं। एलीफैंट जी. राजेन्द्रन ने वर्ष 2001 में एक घायल हाथी के संबंध में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने उन्हें विदेश से चिकित्सकों को लाने की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता ने विदेश से चिकित्सकों को बुलाकर हाथी का उपचार कराया। उन्होंने यह भी कहा कि एलीफैंट जी. राजेन्द्रन द्वारा जनहित में अनेक याचिकाएँ दायर की गई हैं। यह भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय ने यह अभिलिखित किया है कि अपर महाधिवक्ता ने स्वयं यह प्रस्तुत किया था कि याचिकाकर्ता की सद्भावना पर कोई प्रश्न नहीं है। आगे यह भी कहा गया कि उत्तरदाता संख्या 2 के विरुद्ध जो विभिन्न शिकायतें अभिलेख पर लाई गई हैं, वे उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात जानबूझकर प्राप्त की गई शिकायतें हैं। अधिकांश शिकायतें दिनांक 18.12.2018 को पुलिस अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त कराई गई प्रतीत होती हैं, जो कि अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 10291 वर्ष 2018 के साथ अभिलेख पर प्रस्तुत शिकायतों से स्पष्ट होता है।

22. श्री आर. बसंत, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अधीन यह अधिकार प्राप्त है कि वह उत्तरदाता संख्या 2 के नेतृत्व में विशेष अन्वेषण दल के गठन का निर्देश दे सके। उन्होंने यह भी कहा कि किसी गैर-पुलिस अधिकारी को पुलिस शक्तियाँ प्रदान करना विधि के विरुद्ध नहीं है। असाधारण परिस्थितियाँ असाधारण उपायों की अपेक्षा करती हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अनुच्छेद

226 के अधीन उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार व्यापक एवं पूर्ण है। विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा इस न्यायालय द्वारा ऐसे अनेक आदेश पारित किए गए हैं, जिनमें सेवानिवृत्त व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए विशेष अन्वेषण दल गठित किए गए हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि मूर्ति शाखा के समक्ष लंबित मामलों के अन्वेषण को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित करना मात्र एक बहाना था, जिसका उद्देश्य उत्तरदाता संख्या 2 को अन्वेषण कार्य से हटाना था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि एच.आर. एंड सी.ई. विभाग के कई अधिकारी विभिन्न प्राथमिकी में संलिप्त एवं अभियुक्त थे तथा सरकार ने उन अधिकारियों को बचाने के उद्देश्य से कार्य किया। श्री बसंत ने यह तर्क दिया कि वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहाँ उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन कोई शक्ति का प्रयोग किया हो, जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा कहा गया है। उन्होंने आगे कहा कि यह ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें इस न्यायालय को अनुच्छेद 136 के अधीन अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता हो। उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहते हुए कार्य किया है और ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है जिसमें इस न्यायालय को विशेष अनुमति प्रदान करनी चाहिए। यह भी कहा गया कि उच्च न्यायालय ने मूर्ति चोरी के मामलों में निष्पक्ष एवं उचित अन्वेषण तथा अभियोजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है। जहाँ तक सुभाष चंद्र कपूर के मामले में उत्तरदाता संख्या 2 के विरुद्ध कथित त्रुटियों का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन चलाने का दायित्व राज्य का है। प्रत्यर्पित अभियुक्त सुभाष चंद्र कपूर के विरुद्ध अभियोजन राज्य द्वारा संचालित किया जा रहा है, अतः इस संबंध में उत्तरदाता संख्या 2 पर कोई दोषारोपण नहीं किया जा सकता।

23. द्वितीय जनहित याचिका के याचिकाकर्ता, अर्थात् ट्रैफिक डॉ. के.आर. रामास्वामी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि निष्पक्ष एवं स्वतंत्र विचारण एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि जब वर्ष 2017 में पुलिस महानिदेशक को दो वर्ष का सेवा-विस्तार प्रदान किया जा सकता है, तो उत्तरदाता संख्या 2

को ऐसा विस्तार क्यों नहीं दिया जा सकता था। यह प्रस्तुत किया गया कि उत्तरदाता संख्या 2 को वर्ष 2012 में मूर्ति शाखा में विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और तब से वह अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। आगे यह भी कहा गया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.07.2017 को दांडिक मूल याचिका संख्या 8960 वर्ष 2017 तथा दांडिक मूल याचिका संख्या 12060 वर्ष 2017 में पारित आदेश के अनुसार उत्तरदाता संख्या 2 को मूर्ति शाखा का प्रमुख बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश से व्यथित होकर पुलिस महानिदेशक ने इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसे दिनांक 01.09.2017 को निरस्त कर दिया गया।

24. यह प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 31.07.2018 को एच.आर. एंड सी.ई. विभाग के आयुक्त द्वारा पुलिस महानिदेशक को लिखे गए पत्र के आधार पर ही अत्यंत जल्दबाजी में मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। आयुक्त के उक्त पत्र के मात्र 24 घंटे के भीतर राज्य सरकार द्वारा मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित करने का निर्णय ले लिया गया। यह भी कहा गया कि आयुक्त ने अपने दिनांक 31.07.2018 के पत्र में मूर्ति शाखा के विरुद्ध आरोप लगाए थे, जिन पर बिना किसी जांच या पूछताछ के ही सीबीआई को मामले स्थानांतरित करने का निर्णय ले लिया गया। यह निर्णय इस उद्देश्य से लिया गया था कि अन्वेषण कार्य को उत्तरदाता संख्या 2 से हटाया जा सके, जो कई अनियमित मामलों का खुलासा कर रहे थे और एच.आर. एंड सी.ई. विभाग के अधिकारियों तथा कुछ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे थे। यह भी प्रस्तुत किया गया कि राज्य द्वारा मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित करने का निर्णय सद्भावना से नहीं लिया गया था। आगे यह कहा गया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने स्वयं अपने दिनांक 20.09.2018 के पत्र में, जो उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, यह कहा था कि वह अभियुक्तों के प्रत्यर्पण, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने तथा इंटरपोल के साथ समन्वय स्थापित करने के मामलों में पूर्ण सहयोग एवं समर्थन प्रदान करेगा और

पहले से ही मूर्ति चोरी के मामलों की जांच कर रही विशेष अन्वेषण दल को भी अपना सहयोग देगा। यह भी कहा गया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इतने बड़े पैमाने पर मूर्ति चोरी के मामलों को अपने अधीन लेने में अनिच्छा व्यक्त की थी। जहाँ तक दिनांक 29.11.2018 के शासकीय आदेश को चुनौती न दिए जाने का प्रश्न है, यह इंगित किया गया कि उक्त आदेश निर्णय से ठीक पूर्व प्रस्तुत किया गया था, जिससे उसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं था।

25. विद्वान महान्यायवादी ने अपने प्रत्युत्तर में यह प्रतिपादित किया कि उच्च न्यायालय विधि के विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। यह प्रस्तुत किया गया कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। राज्य सरकार को आईपीएस अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं है। यह भी कहा गया कि अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के अंतर्गत केवल कुछ विशिष्ट पदों पर आसीन अधिकारियों को ही केंद्रीय सरकार द्वारा सेवा-विस्तार दिया जा सकता है, और इस प्रावधान में पुलिस महानिरीक्षक (जिस पद पर उत्तरदाता संख्या 2 कार्यरत थे) का समावेश नहीं है। विद्वान महान्यायवादी ने यह भी प्रस्तुत किया कि यद्यपि दिनांक 18.05.1977 का कार्यालय ज्ञापन सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पुनर्नियोजन/सेवा-विस्तार के संबंध में जारी किया गया था, किन्तु दिनांक 09.12.2002 के कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के पश्चात वह अब प्रभावी नहीं रहा। दिनांक 09.12.2002 के पश्चात 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु के बाद पुनर्नियोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने आगे यह भी कहा कि विवादित निर्णय में दिए गए विभिन्न निर्देश दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत हैं और विधि के दायरे से बाहर हैं। उनके अनुसार, विवादित निर्णय में दिया गया प्रत्येक निर्देश किसी न किसी विधिक प्रावधान के प्रतिकूल है।

26. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रतिवेदनों पर विचार किया है

तथा अभिलेखों का अवलोकन किया है।

27. वर्तमान अपीलों में विचारार्थ निम्नलिखित मुख्य मुद्दे उत्पन्न होते हैं:

(i) क्या तमिलनाडु राज्य द्वारा दिनांक 01.08.2018 के शासकीय आदेश के माध्यम से मूर्ति चोरी के मामलों के लिए गठित विशेष दल द्वारा अन्वेषणाधीन सभी मामलों तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित करना न्यायोचित था?

(ii) क्या उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2018 को पारित विवादित निर्णय, जिसके द्वारा दिनांक 01.08.2018 के शासकीय आदेश को निरस्त किया गया, संधारणीय है?

(iii) क्या उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, किसी पुलिस अधिकारी को उसकी अधिवर्षिता के पश्चात विशेष अन्वेषण दल (एस.आई.टी.) का प्रमुख नियुक्त कर सकता है, ताकि वह दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान तथा अन्य कार्यों का निर्वहन कर सके?

(iv) क्या उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2018 को पारित विवादित निर्णय, जिसके द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 को दिनांक 30.11.2018 को अधिवर्षिता प्राप्त करने के पश्चात भी अपराध अन्वेषण विभागकी मूर्ति शाखा का प्रमुख बने रहने का निर्देश दिया गया, संधारणीय है?

(v) क्या विवादित निर्णय की कंडिका 45 में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 10 निर्देश विधि के विरुद्ध हैं तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण संधारणीय नहीं हैं?

(vi) क्या उच्च न्यायालय, विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाओं में उक्त शासकीय आदेश को चुनौती दिए बिना, दिनांक 29.11.2018 के उस शासकीय आदेश—जिसके

द्वारा थिरु अभय कुमार सिंह, आईपीएस को चेन्नई स्थित मूर्ति शाखा-अपराध अन्वेषण विभागके अपर पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया—को अप्रासंगिक घोषित कर सकता था?

<u>मुद्दा संख्या 1 एवं 2</u>

28. उपर्युक्त दोनों मुद्दे परस्पर संबंधित होने के कारण उन्हें एक साथ विचारार्थ लिया जा रहा है। दिनांक 01.08.2018 के शासकीय आदेश के निर्गमन से पूर्व के कुछ पृष्ठभूमि संबंधी तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है। अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) की मूर्ति शाखा तमिलनाडु राज्य की एक विशिष्ट व्यवस्था है। तमिलनाडु राज्य देश के सर्वाधिक प्राचीन मंदिरों से समृद्ध है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, तमिलनाडु हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम, 1959 के अंतर्गत राज्य में हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्तों के उचित प्रशासन एवं प्रबंधन को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं। एच.आर. एंड सी.ई. विभाग पर मंदिरों की संपत्तियों, जिनमें मूर्तियाँ भी सम्मिलित हैं, के प्रबंधन एवं संरक्षण का दायित्व निहित है। मूर्तियों की चोरी, गुमशुदगी तथा गबन से संबंधित अनेक मामलों, जिनका मूल्य कई करोड़ रुपये है, को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु राज्य ने वर्ष 1983 में जारी शासकीय आदेश के माध्यम से मूर्ति शाखा का गठन किया। मद्रास उच्च न्यायालय ने दांडिक मूल याचिका संख्याएँ 8690 तथा 12060 वर्ष 2017 का निस्तारण करते समय अपने दिनांक 21.07.2017 के आदेश में कंडिका 12 में निम्नलिखित अभिलिखित किया है:

> "**12.** एच.आर. एंड सी.ई. विभाग अधिकांश मंदिरों तथा उनकी संपत्तियों, जिनमें मूर्तियाँ भी सम्मिलित हैं, का संरक्षक है। इन मंदिरों की रक्षा करना तथा बहुमूल्य मूर्तियों/प्राचीन वस्तुओं को सुरक्षित रखना उनका प्रमुख कर्तव्य है, किंतु इस न्यायालय ने गहरी पीड़ा के साथ यह अभिलिखित किया है कि विभाग इस दायित्व के निर्वहन में विफल रहा है। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है

कि प्रमुख मंदिरों से पर्याप्त आय प्राप्त होने के बावजूद एच.आर. एंड सी.ई. विभाग ऐतिहासिक मंदिरों का संरक्षण करने तथा मूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं रहा है, जिनका उनके प्राचीन होने के कारण बाज़ार में अत्यधिक मूल्य है। राज्य के कुछ मंदिरों को यूनेस्को द्वारा धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अनेक मंदिर, जो कम से कम 1500 वर्ष पूर्व या उससे भी पहले निर्मित हुए हैं—यहाँ तक कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त मंदिरों से भी अधिक प्राचीन—वर्तमान में जर्जर अवस्था में हैं। यहाँ तक कि दैनिक पूजा-अर्चना भी नहीं हो रही है। कुछ मंदिर पूरे दिन बंद रहते हैं और वहाँ दीप जलाने वाला भी कोई नहीं है। न तो पुरातत्व विभाग और न ही एच.आर. एंड सी.ई. विभाग ने इन मंदिरों की पहचान एवं संरक्षण में पर्याप्त रुचि दिखाई है। इसका लाभ उठाकर असामाजिक तत्वों ने मूर्तियों पर हाथ साफ कर लिया है।

29. उक्त दांडिक मूल याचिकाएँ इस प्रार्थना के साथ दायर की गई थीं कि नुंगम्बक्कम जिला, चेन्नई स्थित एच.आर. एंड सी.ई. के आयुक्त से संबंधित 6 मूर्तियों की चोरी के सभी अन्वेषणों को आर्थिक अपराध शाखा, सीआईडी, चेन्नई के अपर पुलिस महानिदेशक को स्थानांतरित किया जाए। उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.07.2017 के अपने निर्णय में दांडिक मूल याचिकाओं का निस्तारण करते हुए यह अभिलिखित किया कि संयुक्त आयुक्त को दी गई विभिन्न शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। कंडिका 16 में उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिलिखित किया:

"**16**. वर्तमान मामलों में दोषी अधिकारियों को मूर्तियों के साथ इस प्रकार व्यवहार करने की खुली छूट मिली हुई थी, मानो वे उनकी निजी संपत्ति हों। याचिकाकर्ता द्वारा दांडिक मूल याचिका संख्या 8690/2017 में प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उसकी विभिन्न शिकायतों का समाधान नहीं किया

गया। आश्चर्यजनक रूप से सुरंग के अस्तित्व तथा लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में भंडारण के संबंध में कोई खंडन नहीं किया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि छठे प्रतिवादी को मूर्तियों के लापता होने की जानकारी थी, आज तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रकरण को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अन्वेषण को छठे प्रतिवादी से मूर्ति शाखा, सीआईडी, चेन्नई को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विभाग की अभिरक्षा में रखी गई 6 मूर्तियाँ लापता हो गई हैं, यह मामला न केवल मूर्ति शाखा, अपराध अन्वेषण विभागद्वारा जांच की अपेक्षा करता है, बल्कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी आरंभ की जानी चाहिए। यह न्यायालय मूर्ति शाखा के पुलिस उपाधीक्षक द्वारा दिए गए इस उत्तर से भी सहमत नहीं है कि धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार शिकायत केवल स्थानीय पुलिस थाने में ही दर्ज की जानी चाहिए।"

30. उच्च न्यायालय ने यह अभिलिखित किया कि अपराधों की प्रकृति को देखते हुए, विभाग की अभिरक्षा में रखी गई 6 मूर्तियों के लापता होने के कारण न केवल इस मामले की जांच मूर्ति शाखा, अपराध अन्वेषण विभागद्वारा किए जाने की आवश्यकता है, बल्कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिए। दांडिक मूल याचिका संख्याएँ 8690 तथा 12060 वर्ष 2017 की सुनवाई के दौरान यह न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि मूर्ति शाखा का नेतृत्व कर रहे उत्तरदाता संख्या 2 का स्थानांतरण कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने यह पाया कि उत्तरदाता संख्या 2 इन मामलों की निगरानी कर रहे थे और उन्होंने कई करोड़ रुपये मूल्य की मूर्तियों का सफलतापूर्वक पता लगाकर उनकी बरामदगी की थी। अतः निरंतरता बनाए रखने तथा अनुसंधान को शीघ्र पूर्ण

करने के उद्देश्य से यह आवश्यक माना गया कि वर्तमान में उन्हें अन्य कार्य सौंपे जाने के बावजूद उत्तरदाता संख्या 2 को इस कार्य में बनाए रखा जाए। कंडिका 19 में निम्नलिखित अभिलिखित किया गया है:

> "**19.** इस न्यायालय द्वारा बार-बार निराशा व्यक्त किए जाने के बाद कि कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई, दिनांक 29.06.2017 को निलंबन का आदेश पारित किया गया और उसकी प्रति दिनांक 30.06.2017 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। उसी समय यह भी न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि श्री ए.जी. पोन मणिक्कावेल, पुलिस महानिरीक्षक, मूर्ति शाखा का स्थानांतरण कर दिया गया है। यद्यपि इसे एक सामान्य स्थानांतरण कहा जा सकता है, तथापि इस न्यायालय का मत है कि यह वैसा नहीं है। साथ ही, उक्त अधिकारी इन मामलों की निगरानी कर रहे थे और उन्होंने कई करोड़ रुपये मूल्य की मूर्तियों का सफलतापूर्वक पता लगाकर उनकी बरामदगी की थी। ऐसा नहीं है कि उनके उत्तराधिकारी अधिकारी कम दक्ष हैं, किन्तु यह ध्यान में रखते हुए कि श्री ए.जी. पोन मणिक्कावेल तथा उनकी टीम ने देशभर में व्यापक रूप से भ्रमण किया है और अपराधियों की कार्यप्रणाली से भली-भांति परिचित हैं, निरंतरता बनाए रखने, अनुसंधान को शीघ्र पूर्ण करने तथा लंबित मामलों का निस्तारण करने के उद्देश्य से यह न्यायालय इस मत पर है कि श्री ए.जी. पोन मणिक्कावेल, पुलिस महानिरीक्षक तथा उनकी टीम वर्तमान में उन्हें सौंपे गए कार्य के बावजूद इस कार्य को जारी रखें।"

31. जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, उच्च न्यायालय के दिनांक 21.07.2017 के आदेश के विरुद्ध पुलिस महानिदेशक ने इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसे दिनांक 01.09.2017 को निस्तारित कर दिया गया, किन्तु उत्तरदाता संख्या 2 को मूर्ति शाखा का प्रमुख बनाए रखने संबंधी निर्देश में इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं

किया गया। परिणामस्वरूप, उत्तरदाता संख्या 2 मूर्ति शाखा का नेतृत्व करते रहे। यह भी उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 21.07.2017 के आदेश द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि एच.आर. एंड सी.ई. विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाए। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गईं, जिनमें एच.आर. एंड सी.ई. विभाग के अधिकारियों को भी अभियुक्त बनाया गया तथा अनेक अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 31.07.2018 को ही एच.आर. एंड सी.ई. विभाग के आयुक्त द्वारा पुलिस महानिदेशक को अर्द्ध-आधिकारिक पत्र लिखा गया, जो निम्नलिखित शब्दों से प्रारंभ होता है:

> "यह आपको सूचित करने के लिए है कि किस प्रकार पुलिस की मूर्ति शाखा इस विभाग के अधिकारियों को प्रताड़ित कर रही है, उन्हें धमकी दे रही है कि यदि वे उनकी इच्छानुसार कार्य नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर दी जाएगी; बिना किसी प्रारंभिक जांच के जनसामान्य की शिकायतों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है; विभाग/मंदिर प्राधिकरणों की शिकायतों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार किया जा रहा है; मंदिर/विभाग के प्राधिकरणों, जिनमें आयुक्त भी सम्मिलित हैं, की प्राधिकारिता को कमतर आँका जा रहा है; मामलों की सार्वजनिक जांच तथा उन्हें सामाजिक एवं पारंपरिक मीडिया में प्रदर्शित कर अधिकारियों की प्रतिष्ठा को आहत एवं अपमानित किया जा रहा है; तथा इस विभाग के वैध कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा है।"

32. दिनांक 31.07.2018 के पत्र में आयुक्त ने अपने अधिकारियों द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से प्राप्त विभिन्न शिकायतों का उल्लेख किया। आयुक्त ने यह भी कहा कि एच.आर. एंड सी.ई. विभाग संकट की स्थिति का सामना कर रहा है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि निष्पक्ष एवं गोपनीय जांच हो तथा दोषियों को दंडित किया जाए, साथ ही ईमानदार अधिकारियों एवं विभाग की

प्रतिष्ठा को क्षति न पहुँचे। इसी दिन, अर्थात् 31.07.2018 को ही अपर पुलिस महानिदेशक ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर अनुशंसा की कि मूर्ति चोरी के मामलों के लिए गठित विशेष दल द्वारा अन्वेषणाधीन सभी मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया जाए। अगले ही दिन, अर्थात् 01.08.2018 को पुलिस महानिदेशक ने मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित करने की अनुशंसा की और उसी दिन दिनांक 01.08.2018 का शासकीय आदेश भी जारी कर दिया गया। इस प्रकार, आयुक्त द्वारा प्रस्तुत शिकायतों के आधार पर मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित करने की पूरी प्रक्रिया मात्र एक ही दिन में पूर्ण कर दी गई। हम पहले ही अभिलिखित कर चुके हैं कि उच्च न्यायालय के दिनांक 21.07.2017 के आदेश द्वारा एच.आर. एंड सी.ई. विभाग के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच करने का निर्देश दिया गया था। यह भी उल्लेखित है कि एच.आर. एंड सी.ई. विभाग के अधिकारियों तथा अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अतः यह सर्वविदित था कि कुछ अधिकारियों के विरुद्ध आरोप तथा प्राथमिकी लंबित थीं, और ऐसे में आयुक्त द्वारा मूर्ति शाखा के विरुद्ध प्रस्तुत शिकायतों को बिना किसी जांच के सीधे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। यहाँ तक कि यदि आयुक्त द्वारा की गई शिकायतों में कुछ सत्यता भी होती, तो भी उनका परीक्षण किया जाना आवश्यक था तथा सरकार द्वारा एक सूचित एवं विचारपूर्ण निर्णय लिया जाना चाहिए था। मूर्ति शाखा पिछले तीन दशकों से अधिक समय से अपना कार्य कर रही थी, अनेक मूर्तियों की बरामदगी की गई थी तथा अनेक मामलों में अभियोजन चलाकर सफलता प्राप्त की गई थी। केवल आयुक्त के एक पत्र के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था कि मूर्ति शाखा अपना कार्य ठीक से नहीं कर रही है। उच्च पुलिस प्राधिकारी तथा राज्य सरकार, यदि मूर्ति शाखा के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई अनियमितता या कदाचार पाया जाता, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पूर्णतः सक्षम थे। आयुक्त का दिनांक 31.07.2018 का पत्र इस संबंध में एच.आर. एंड सी.ई. विभाग द्वारा पुलिस, उच्च प्राधिकारियों या सरकार को दी गई किसी पूर्व लिखित शिकायत

का उल्लेख भी नहीं करता। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित करने का निर्णय मात्र एक ही दिन में, आयुक्त की शिकायत प्राप्त होने पर, बिना किसी जांच के अत्यंत जल्दबाजी में लिया गया था, और इस प्रकार यह निर्णय एक सूचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय नहीं कहा जा सकता।"

33. उपरोक्त संदर्भ में इस प्रकरण के एक अन्य पहलू का उल्लेख करना आवश्यक है। यह कि स्थानांतरण उन सभी मामलों का किया गया था जो मूर्ति चोरी के मामलों के लिए गठित विशेष दल द्वारा अन्वेषणाधीन थे तथा ऐसे सभी भविष्य के मामलों का भी, जिन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया। संबंधित समय पर मूर्ति शाखा के समक्ष 100 से अधिक मामले अन्वेषणाधीन थे। इस संदर्भ में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के दिनांक 19/20.09.2018 के पत्र का उल्लेख करना प्रासंगिक है, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष ज्ञापन द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा जो इस अपील में परिशिष्ट पी/18 के रूप में संलग्न है, जिसका आशय निम्नलिखित है:

"विषय: विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 20392/2018,

जो श्री एलीफेंट जी. राजेन्द्रन द्वारा दायर की गई – संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में।"

"इस संबंध में अनुरोध किया जाता है कि जब यह मामला सुनवाई हेतु आए, तो यह निवेदन किया जाए कि विभिन्न चरणों में लंबित बड़ी संख्या में मूर्ति चोरी के मामलों तथा भविष्य में आने वाले संभावित मामलों को ध्यान में रखते हुए, और मानव संसाधन की गंभीर कमी को देखते हुए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अभियुक्तों के प्रत्यर्पण, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने तथा इंटरपोल के साथ समन्वय स्थापित करने जैसे मामलों में पूर्ण सहयोग एवं समर्थन प्रदान करेगा, उस विशेष अन्वेषण दल को जो पहले से ही मूर्ति चोरी के मामलों की जांच कर रहा है।

शाखा प्रमुख, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष अपराध शाखा, चेन्नई।"

34. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने दिनांक 20.09.2018 के संप्रेषण में, जो विनिर्दिष्ट आदेश याचिका के विषय से संबंधित था, यह मत व्यक्त किया कि विभिन्न चरणों में लंबित बड़ी संख्या में मूर्ति चोरी के मामलों तथा भविष्य में आने वाले संभावित मामलों को ध्यान में रखते हुए, और मानव संसाधन की गंभीर कमी को देखते हुए, सीबीआई अभियुक्तों के प्रत्यर्पण, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने तथा इंटरपोल के साथ समन्वय स्थापित करने जैसे मामलों में उस विशेष अन्वेषण दल को पूर्ण सहयोग एवं समर्थन प्रदान करेगी, जो पहले से ही मूर्ति चोरी के मामलों की जांच कर रही है। उक्त पत्र वस्तुतः विनम्र रूप से यह इंगित करता है कि सीबीआई इतनी बड़ी संख्या में मामलों को अपने अधीन लेने में असमर्थ है।

35. उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय की कंडिका 32 में दिनांक 01.08.2018 के आदेश को निरस्त करने के कारणों का विस्तार से उल्लेख किया है। यह उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 21.07.2017 के आदेश द्वारा पहले ही मूर्ति शाखा के अधिकारियों का एक विशेष अन्वेषण दल गठित करने का निर्देश दिया था, जो अन्वेषण तथा लंबित परीक्षणों का अनुवर्तन करे। उक्त आदेश के अनुपालन का प्रश्न न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। अपर पुलिस महानिदेशक से पत्र प्राप्त होने के पश्चात, अपर मुख्य सचिव ने दिनांक 01.08.2018 को अपर महाधिवक्ता को एक पत्र लिखा, जिसमें निम्नलिखित अनुरोध किया गया:

> "**9.** अतः आपसे अनुरोध है कि जब उपर्युक्त प्रकरणों की सुनवाई हो, तब माननीय मद्रास उच्च न्यायालय को सरकार के निर्णय से अवगत कराएँ तथा यह भी बताने की कृपा करें कि क्या न्यायालय से किसी आदेश की आवश्यकता है।"

36. महाधिवक्ता ने भी दिनांक 01.08.2018 के पत्र को पीठ के संज्ञान में

लाया तथा अपर मुख्य सचिव को उत्तर देते हुए अवगत कराया कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह अभिलिखित किया है कि उक्त संप्रेषण, निर्णय या आदेश को अगली सुनवाई, जो दिनांक 08.08.2018 को निर्धारित है, में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जब मूर्ति चोरी से संबंधित मामले पहले ही उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा गठित विशेष अन्वेषण दल के समक्ष अन्वेषणाधीन थे, तब राज्य सरकार के लिए यह उपयुक्त था कि वह मामलों को स्थानांतरित करने संबंधी कोई भी शासकीय आदेश जारी करने से पूर्व न्यायालय को अवगत कराती। किसी भी दृष्टिकोण से देखें, मूर्ति चोरी के मामलों की बड़ी संख्या तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए, सीबीआई राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के लिए उपयुक्त अन्वेषण एजेंसी नहीं थी। स्वयं सीबीआई ने भी इतने बड़े स्तर पर इस कार्य को ग्रहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। अतः दिनांक 01.08.2018 के शासकीय आदेश को निरस्त करने में उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई।"

<u>मुद्दा संख्या 3 और 4</u>

37. विद्वान महान्यायवादी द्वारा हमारे समक्ष विशेष रूप से यह प्रतिपादन किया गया कि उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के अधीन ऐसा कोई क्षेत्राधिकार नहीं है कि वह किसी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को उसकी अधिवर्षिता के पश्चात विशेष अन्वेषण दल (एस.आई.टी.) का प्रमुख नियुक्त करने का निर्देश दे सके। इस संबंध में उनके द्वारा तीन मुख्य तर्क प्रस्तुत किए गए: प्रथम, अनुच्छेद 226 के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय पुलिस अधिनियम, 1861 की धाराओं 3 एवं 4 के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त पुलिस अधीक्षक संबंधी शक्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकता। द्वितीय, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत केवल पुलिस अधिकारी ही अन्वेषण करने, गिरफ्तारी करने, आरोपपत्र प्रस्तुत करने तथा अन्य सभी वैधानिक कृत्यों को संपादित करने का अधिकारी होता है। तृतीय, उत्तरदाता संख्या 2 अधिवर्षिता के पश्चात पुलिस अधिकारी नहीं रह जाता, अतः वह

दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को प्रदत्त किसी भी शक्ति या अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता।

38. संवैधानिक न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 226 के अधीन प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों की परिधि एवं विस्तार का अवलोकन करना आवश्यक है। भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के अंतर्गत की गई थी। उक्त अधिनियम की धाराएँ 9 एवं 10 उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियों से संबंधित थीं। तत्पश्चात, भारत शासन अधिनियम, 1915 की धारा 106 तथा भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 223 में भी विद्यमान उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का प्रावधान किया गया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने के विषय में अत्यंत व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है, जो उन्हें पूर्व में प्राप्त नहीं थीं। अनुच्छेद 226 अत्यंत व्यापक शब्दों में निहित है और इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्तियाँ पूर्ण तथा निहित दोनों हैं। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्ति केवल निर्दिष्ट रिट जारी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उच्च न्यायालय को निर्देश, आदेश अथवा रिट जारी करने का अधिकार है, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा तथा उत्प्रेषण के स्वरूप की रिट सम्मिलित हैं, या भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन हेतु अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी।

39. अनुच्छेद 226 की परिधि एवं विस्तार इस न्यायालय के समक्ष **द्वारका नाथ बनाम आयकर अधिकारी, ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 81** में विचारार्थ आया था। न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव ने न्यायालय की ओर से निर्णय देते हुए कहा:

> "(4) ..... यह अनुच्छेद व्यापक शब्दावली में निहित है और प्रत्यक्षतः उच्च न्यायालयों को जहाँ कहीं भी अन्याय हो, वहाँ तक पहुँचने की विस्तृत शक्ति प्रदान करता है। संविधान ने जानबूझकर इस शक्ति की प्रकृति, उसके प्रयोजन तथा उन व्यक्तियों या प्राधिकारों का वर्णन करते समय व्यापक भाषा का

उपयोग किया है, जिनके विरुद्ध यह शक्ति प्रयोग की जा सकती है। उच्च न्यायालय इंग्लैंड में प्रचलित विशेषाधिकार रिटों के स्वरूप की रिटें जारी कर सकते हैं; किन्तु "प्रकृति" शब्द के प्रयोग से उन रिटों का दायरा और भी विस्तृत हो जाता है, क्योंकि यह शब्द भारत में जारी की जाने वाली रिटों को इंग्लैंड की रिटों के समान नहीं ठहराता, बल्कि उनसे केवल एक समानता स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय विशेषाधिकार रिटों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के निर्देश, आदेश या रिट भी जारी कर सकते हैं। यह उच्च न्यायालयों को इस देश की विशिष्ट एवं जटिल आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त राहत प्रदान करने की क्षमता देता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियों की परिधि को इंग्लैंड के न्यायालयों द्वारा विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्तियों के समान ठहराने का कोई भी प्रयास, इंग्लैंड जैसे अपेक्षाकृत छोटे एवं एकात्मक शासन प्रणाली वाले देश में समय के साथ विकसित हुई अनावश्यक प्रक्रियात्मक सीमाओं को भारत जैसे विशाल एवं संघीय ढाँचे वाले देश पर थोपने के समान होगा। ऐसी व्याख्या स्वयं इस अनुच्छेद के उद्देश्य को विफल कर देगी।....."

40. **रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम रोहतास इंडस्ट्रीज स्टाफ यूनियन और अन्य, (1976) 2 एससीसी 82** में इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने यह माना कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की विस्तारित शक्ति उतनी ही व्यापक है जितनी कि इसमें प्रयुक्त भाषा का विस्तार। कंडिका 9 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया था:

"**9.** उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अधीन प्राप्त व्यापक एवं असाधारण शक्ति उतनी ही विस्तृत है जितनी उसमें प्रयुक्त भाषा की परिधि दर्शाती है, और इस प्रकार यह *किसी भी व्यक्ति*—यहाँ तक कि निजी व्यक्ति—को भी प्रभावित

कर सकती है तथा *किसी भी उद्देश्य के लिए* उपलब्ध हो सकती है—यहाँ तक कि उस उद्देश्य के लिए भी, जिसके लिए कोई अन्य उपाय उपलब्ध हो। वर्ष 1963 में अनुच्छेद 226 में किए गए संशोधन द्वारा अनुच्छेद 226(1-ए) का समावेश, *'ऐसे व्यक्ति के निवास'* के स्पष्ट उल्लेख द्वारा, इस बात की पुनः पुष्टि करता है कि रिट की शक्ति का दायरा किसी भी व्यक्ति तक विस्तृत है। किन्तु, अधिकार-क्षेत्र की पुष्टि करना एक बात है और उसके स्वतंत्र एवं अनियंत्रित प्रयोग की अनुमति देना दूसरी बात है। इस न्यायालय ने इस असाधारण उपाय के प्रयोग पर विवेकपूर्ण एवं स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित की हैं, और उच्च न्यायालय सामान्यतः उन उचित सीमाओं से परे नहीं जाएंगे, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ स्थिति की गंभीरता या अन्य असाधारण परिस्थितियाँ समयोचित न्यायिक हस्तक्षेप या आदेश की मांग करती हों। विधि का मूल उद्देश्य न्याय है, और इतनी प्रभावशाली शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। पिछले अनुभवों तथा भविष्य की संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो, रिट की शक्ति व्यापक रूप से जनता के अधिकारों की रक्षा करने वाली सतर्क प्रहरी के रूप में कार्य करती रही है, और इस शक्ति को सीमित या समाप्त करना मानवाधिकारों के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है।"

41. पुनः, इस न्यायालय ने **एयर इंडिया वैधानिक निगम बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन, (1997) 9 एससीसी 377** में यह अभिलिखित किया कि संविधान-निर्माताओं ने अनुच्छेद 226 के अधीन कोई बाह्य सीमा या बंधन निर्धारित नहीं किया है, सिवाय उन सीमाओं के जो न्यायालय स्वयं अपने ऊपर आरोपित करता है। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि "न्यायालय की भुजा इतनी लंबी है कि वह जहाँ कहीं भी अन्याय हो, वहाँ तक पहुँच सकती है।" कंडिका 59 में निम्नलिखित अभिलिखित किया गया है:

"**59.** संविधान-निर्माताओं ने अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों पर कोई बाह्य सीमा या प्रतिबंध नहीं लगाया है, सिवाय उन सीमाओं के जो न्यायालय स्वयं अपने ऊपर आरोपित करता है। न्यायालय की भुजा इतनी लंबी है कि वह जहाँ कहीं भी अन्याय हो, वहाँ तक पहुँच सकती है। न्यायालय एक *सतर्क प्रहरी* के रूप में, प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुसार न्याय प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है ....."

42. उपरोक्त इस न्यायालय के निर्णयों से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति अत्यंत व्यापक प्रकृति की है, जिस पर कोई बाह्य प्रतिबंध नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो न्यायालय स्वयं अपने ऊपर आरोपित करता है। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के अधीन अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं करेगा जो विधि के प्रतिकूल हो।

43. विद्वान महान्यायवादी द्वारा हमारे समक्ष यह आपत्ति उठाई गई है कि किसी पुलिस अधिकारी की अधिवर्षिता के पश्चात उसे दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अन्वेषण अथवा अन्य शक्तियाँ नहीं सौंपी जा सकतीं, क्योंकि ऐसा करना विधिक योजना के प्रतिकूल होगा और इसे अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अनुमन्य नहीं माना जा सकता। इस प्रश्न के संदर्भ में, हम कुछ उच्च न्यायालयों तथा इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जो विचाराधीन मुद्दे के लिए प्रासंगिक हैं।

44. इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह सिद्धांत स्थापित किया है कि उपयुक्त मामलों में, विशेषकर जब समाज के उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों पर आरोप हों, न्यायालय आपराधिक अन्वेषण की निगरानी कर सकता है। **विनीत नारायण बनाम भारत संघ, (1998) 1 एससीसी 226** में इस न्यायालय ने यह अभिलिखित किया कि

सरकारी एजेंसियाँ, जिनमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी सम्मिलित है, ने प्रकट अपराधों की जांच करने के अपने सार्वजनिक दायित्व का समुचित निर्वहन नहीं किया; अतः न्यायालय स्वयं अन्वेषण की निगरानी करेगा। इस न्यायालय ने कंडिका 8 एवं 9 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए:

> "**8**. इन आदेशों का सार यह है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा अन्य सरकारी एजेंसियाँ उजागर अपराधों की जांच करने के अपने सार्वजनिक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रही थीं; यह कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, अतः उसके द्वारा कथित अपराध की जांच आवश्यक है; तथा यह कि हम अन्वेषण की निगरानी करेंगे, इस अर्थ में कि हम वैधानिक सीमा के भीतर रहते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि अन्वेषण आगे बढ़े, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि हम अन्वेषण को निर्देशित या नियंत्रित न करें और न ही किसी संभावित अभियुक्त के निष्पक्ष एवं पूर्ण विचारण के अधिकार को प्रभावित करें। हमने यह भी स्पष्ट किया कि निगरानी करने वाले न्यायालय का कार्य उस क्षण समाप्त हो जाएगा जब किसी विशेष अन्वेषण में आरोपपत्र दाखिल कर दिया जाएगा और तत्पश्चात विधि की सामान्य प्रक्रिया लागू हो जाएगी। अन्वेषण जिस दिशा में अग्रसर था, उसे देखते हुए हमने यह आवश्यक समझा कि सीबीआई अन्वेषण की प्रगति की रिपोर्ट राजनीतिक कार्यपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी को न दे; ऐसा किसी प्रकार के पक्षपात, निष्पक्षता या वस्तुनिष्ठता की कमी की आशंका को समाप्त करने तथा अन्वेषण की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए किया गया। संक्षेप में, अपनाई गई प्रक्रिया "निरंतर परमादेश" की थी।
>
> **9**. यह मामला न्यायालय के समक्ष इस शिकायत के साथ लाया गया था कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा अन्य एजेंसियाँ, कार्यपालिका के उच्च पदों पर

आसीन अनेक व्यक्तियों की कथित संलिसता के कारण, अपराधों की जांच करने में निष्क्रियता प्रदर्शित कर रही हैं। कुछ समय तक यह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि एजेंसियाँ जांच को आगे बढ़ाने के प्रति अनिच्छुक थीं। यदि आरोप सत्य हों, तो वे उच्च स्तर के राजनेताओं एवं नौकरशाहों के बीच एक ऐसे गठजोड़ को प्रकट करते हैं, जिन्हें ऐसे स्रोत से वित्तपोषित किया गया था, जो आतंकवादियों को वित्त प्रदान करने वाले स्रोत से जुड़ा हुआ था। विदेशी मुद्रा के माध्यम से हुए इस वित्तपोषण को देखते हुए, कुछ अवांछनीय विदेशी तत्वों के भी इससे जुड़े होने की संभावना प्रकट होती है। यह स्थिति अत्यंत गंभीर थी, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करती थी। भारतीय शासन-व्यवस्था के समक्ष उत्पन्न इस गंभीर संकट को कम करके नहीं आंका जा सकता था। ऐसी परिस्थिति में, एक त्वरित एवं समग्र जांच की आवश्यकता स्पष्ट थी, जो पहले से ही कई वर्षों से विलंबित थी और जिसे अब और टाला नहीं जा सकता था। एजेंसियों की यह निरंतर निष्क्रियता, कि वे एक समुचित जांच प्रारंभ करने तक के लिए तैयार नहीं थीं, अब और सहन नहीं की जा सकती थी। इस स्थिति के बने रहने के कारण, कार्यवाही के दौरान यह आवश्यक हो गया कि ऐसे आदेश पारित किए जाएँ, जिससे सीबीआई एवं अन्य एजेंसियाँ कम से कम प्रभावी जांच प्रारंभ करें। केवल परमादेश जारी कर एजेंसियों को अपना कर्तव्य निभाने के लिए कहना निष्फल सिद्ध होता, इसलिए समय-समय पर निर्देश जारी करने तथा प्रकरण को लंबित रखते हुए एजेंसियों से जांच की प्रगति की रिपोर्ट माँगने का निर्णय लिया गया, ताकि न्यायालय की निगरानी में जांच की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। अतः यह निर्देश दिया गया कि सीबीआई एवं अन्य एजेंसियाँ जांच को शीघ्रता से पूर्ण करें तथा समय-समय पर न्यायालय को जांच की प्रगति से

अवगत कराती रहें, जिससे न्यायालय प्रकरण पर अपना नियंत्रण बनाए रख सके, जब तक कि जांच पूर्ण न हो जाए और आरोपपत्र सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न कर दिए जाएँ, ताकि तत्पश्चात विधि के अनुसार आगे की कार्यवाही की जा सके।

45. जब सरकारी एजेंसियाँ गंभीर एवं व्यापक अपराधों का अनावरण करने में विफल रहीं, तब नागरिकों ने अपनी रक्षा हेतु संवैधानिक न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया। न्याय को आगे बढ़ाने तथा संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए साधनों में से एक है—एक विशेष प्रकार के वाद को मान्यता देना, जिसे जनहित याचिका कहा जाता है। दुर्गा दास बसु ने अपनी पुस्तक "भारत का संविधान" (खंड 6, 8 वाँ संस्करण, 2010) में इस प्रकार की वाद-प्रणाली के क्षेत्र एवं उद्देश्य का वर्णन करते हुए कहा है:

"**1.** जनहित याचिका में शिकायत सरकार की कार्यवाही की प्रकृति और उसके संचालन से संबंधित होती है, विशेषकर समाज के विभिन्न वर्गों के संवैधानिक या वैधानिक अधिकारों के संदर्भ में, और कुछ परिस्थितियों में सरकार की नीतियों के संचालन से भी संबंधित होती है। इस प्रकार की याचिकाओं में प्रदान की जाने वाली राहत भविष्य उन्मुख होती है और सामान्यतः सुधारात्मक होती है, न कि मात्र प्रतिपूरक , यद्यपि कुछ मामलों में प्रतिपूरक भी हो सकती है। ऐसे मामलों में न्यायालय की भूमिका अधिक सक्रिय एवं सकारात्मक होती है। न्यायालय प्रायः विशेषज्ञ समितियों, आयुक्तों, सलाहकार निकायों आदि की सहायता भी लेता है। इस प्रकार दी जाने वाली राहत सकारात्मक कार्रवाई का संकेत देती है, और उपाय कभी न्यायालय द्वारा आरोपित , कभी परामर्श द्वारा निर्धारित अथवा अर्ध-परामर्शात्मक रूप में होता है।"

46. इस न्यायालय की संविधान पीठ ने **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ, 1987 (1) एससीसी 395 में**, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भगवती ने निर्णय दिया, जनहित याचिका की प्रकृति तथा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत शक्तियों पर विचार करते हुए यह अभिलिखित किया कि अनुच्छेद 32 के अधीन यह न्यायालय कार्यवाही के उद्देश्य के अनुरूप किसी भी उपयुक्त प्रक्रिया का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। कंडिका 6 एवं 7 में निम्नलिखित अभिलिखित किया गया:

> "**6.** जहाँ तक इस प्रकार के वाद, जिसे सुविधा के लिए हम *सामाजिक कार्य वाद* कह सकते हैं, में उत्पन्न मुद्दों से संबंधित प्रासंगिक सामग्री एकत्र करने तथा इस उद्देश्य के लिए आयोगों की नियुक्ति करने के संबंध में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायालय की शक्ति का प्रश्न है, हम अपने ही एक न्यायाधीश, अर्थात् न्यायमूर्ति भगवती (जैसा कि वे उस समय थे) द्वारा *बंधुआ मुक्ति मोर्चा प्रकरण* में अपने निर्णय में कही गई बातों का अनुमोदन करते हैं। उस निर्णय में जो कहा गया है, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हमें उसका पूर्ण अनुमोदन है।
>
> **7.** हम यह भी मानते हैं कि अनुच्छेद 32(1) के अधीन यह न्यायालय कार्यवाही के विशिष्ट उद्देश्य—अर्थात् मौलिक अधिकार के प्रवर्तन—के लिए उपयुक्त किसी भी प्रक्रिया का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है, तथा अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत न्यायालय को यह निहित शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी मामले में आवश्यक निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सके, जिसमें मौलिक अधिकार के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने हेतु सभी सहायक या अनुषंगी शक्तियाँ भी सम्मिलित हैं। न्यायालय की शक्ति केवल निषेधात्मक नहीं है, अर्थात् केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन को रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उपचारात्मक भी है और पहले से हो चुके उल्लंघन के विरुद्ध भी राहत प्रदान

करती है, जैसा कि *बंधुआ मुक्ति मोर्चा प्रकरण* में कहा गया है। यदि न्यायालय ऐसे मामलों में कोई निर्देश, आदेश या रिट जारी करने में असमर्थ हो, जहाँ मौलिक अधिकार का पहले ही उल्लंघन हो चुका हो, तो अनुच्छेद 32 की प्रभावशीलता समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यदि मौलिक अधिकार के उल्लंघन की आशंका हो तो न्यायालय उसे रोक सकता है, किन्तु यदि उल्लंघनकर्ता शीघ्रता से कार्य कर मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दे, तो वह अनुच्छेद 32 के दायरे से बाहर हो जाएगा—जो कि विधि के उद्देश्य के विपरीत होगा। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार काफी हद तक निष्प्रभावी (कमज़ोर) हो जाएगा और निरर्थक सिद्ध होगा। अतः हमें यह मानना होगा कि अनुच्छेद 32 उस व्यक्ति की सहायता करने में असमर्थ नहीं है, जिसका मौलिक अधिकार उल्लंघित हुआ है। ऐसी स्थिति में वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचारात्मक सहायता प्राप्त कर सकता है। न्यायालय की यह शक्ति, कि वह ऐसी उपचारात्मक राहत प्रदान करे, उपयुक्त मामलों में प्रतिकर प्रदान करने की शक्ति को भी सम्मिलित कर सकती है। हम जानबूझकर "उपयुक्त मामलों में" शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रत्येक उस मामले में, जहाँ किसी उल्लंघनकर्ता द्वारा मौलिक अधिकार का हनन किया गया हो, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर याचिका में प्रतिकर प्रदान नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकार का उल्लंघन गंभीर एवं प्रत्यक्ष होना चाहिए, अर्थात् निर्विवाद तथा प्रथम दृष्टया स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होना चाहिए। साथ ही, या तो ऐसा उल्लंघन व्यापक स्तर पर हुआ हो, जिससे बड़ी संख्या में व्यक्तियों के मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हों, अथवा वह ऐसा प्रतीत हो कि प्रभावित व्यक्तियों की गरीबी, अक्षमता या सामाजिक अथवा आर्थिक रूप से वंचित स्थिति के कारण उन्हें दीवानी

न्यायालयों में वाद दायर करने और उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य करना अन्यायपूर्ण, अत्यधिक कठोर या दमनकारी होगा। सामान्यतः, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर याचिका का उपयोग मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए प्रतिकर प्राप्त करने हेतु दीवानी न्यायालय की सामान्य प्रक्रिया के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। केवल उन्हीं अपवादात्मक परिस्थितियों में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर याचिका में प्रतिकर प्रदान किया जा सकता है। इसी सिद्धांत के आधार पर इस न्यायालय ने *रुदुल शाह बनाम बिहार राज्य* में प्रतिकर प्रदान किया था। इसी प्रकार, इस न्यायालय ने भीम सिंह को भी प्रतिकर प्रदान किया था, जिनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जम्मू-कश्मीर राज्य द्वारा गंभीर रूप से उल्लंघित किया गया था। यदि हम उन मामलों का तथ्यात्मक विश्लेषण करें, जिनमें इस न्यायालय ने प्रतिकर प्रदान किया है, तो यह स्पष्ट होता है कि सभी मामलों में उल्लंघन का तथ्य स्पष्ट एवं निर्विवाद था, उल्लंघन अत्यंत गंभीर था, और उसका प्रभाव इतना व्यापक था कि उसने न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दिया। ऐसी स्थिति में यह अत्यंत अन्यायपूर्ण होता कि प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के लिए दीवानी न्यायालय का सहारा लेने के लिए बाध्य किया जाए।

जो बात संविधान के अनुच्छेद 32 के संबंध में कही गई है, वही उच्च न्यायालयों के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार पर भी समान रूप से लागू होती है।

47. इस न्यायालय ने समय-समय पर मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तथा जनसाधारण की अन्य शिकायतों के निवारण हेतु नवीन उपाय विकसित किए हैं। इस न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे अनेक आदेश पारित किए गए हैं, जिनमें विशेष अन्वेषण दल (एस.आई.टी.) द्वारा जांच कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं, और ऐसे

दलों में सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी सम्मिलित किया गया है। इस न्यायालय ने **गुरुवायूर देवस्वोम मैनेजिंग कमेटी बनाम सी.के. राजन, (2003) 7 एससीसी 546** में जनहित याचिका के क्षेत्र एवं दायरे का विस्तार से परीक्षण किया है तथा कंडिका 50 में इस न्यायालय द्वारा विकसित सिद्धांतों का संकलन करते हुए ग्यारह सिद्धांतों का सार प्रस्तुत किया है। उपखंड (ix) में इस न्यायालय ने यह अभिलिखित किया:

> "50. (i) xxx xxxx
>
> (ix) न्यायालय विशेष परिस्थितियों में आरोपों की जांच करने तथा तथ्यों का निर्धारण करने के उद्देश्य से किसी आयोग या अन्य निकायों की नियुक्ति कर सकता है। वह यह भी निर्देश दे सकता है कि किसी लोक संस्थान का प्रबंधन ऐसे समिति द्वारा अपने अधीन ले लिया जाए। (देखें: *बंधुआ मुक्ति मोर्चा, राकेश चंद्र नारायण बनाम बिहार राज्य* तथा *ए.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम प्रो. एम.वी. नायडू*)।"

48. विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा इस न्यायालय द्वारा अनेक आदेश पारित किए गए हैं, जिनके द्वारा उन वादों में, जहाँ ऐसी आवश्यकता आवश्यक पाई गई, अनुसंधान संपन्न कराने हेतु विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया है। बंबई उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष **रंजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा एवं अन्य बनाम किसान बाबूराव हजारे एवं अन्य, 2004 (3) एमएचएलजे 760** में एक ऐसा वाद था, जिसमें विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था, जिसमें सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक सम्मिलित थे। प्रारंभ में दिनांक 04.09.2003 को पक्षकारों की सहमति से विशेष अनुसंधान दल के संबंध में आदेश पारित किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री एस.एस. पुरी, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक द्वारा की जानी थी। जब दिनांक 24.09.2003 को एक अनुवर्ती आदेश पारित किया गया, जिसमें यह उपबंध किया गया कि श्री एस.एस. पुरी, पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रयोज्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे मानो वे सेवा में हों, तथा इस आशय से दिनांक 26.09.2003 को शासकीय

संकल्प जारी किया गया, तब दिनांक 24.09.2003 के उक्त अनुवर्ती निर्देश को वापस लिए जाने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया गया कि श्री एस.एस. पुरी सेवा में नहीं हैं और न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र राज्य में दो पुलिस महानिदेशक हो गए हैं, जो कि अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 को भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियमावली, 1954 तथा भारतीय पुलिस सेवा (कैडर शक्ति निर्धारण) विनियमावली, 1955 के साथ पढ़े जाने पर उसके प्रावधानों के प्रतिकूल है। यह भी निवेदन किया गया कि अनुच्छेद 226 के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय विधि द्वारा विनिर्धारित सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता। यह प्रतिपादित किया गया कि न्यायालय का आदेश दं.प्र.सं. के अधीन अपराधों के अनुसंधान हेतु परिकल्पित वैधानिक तंत्र पर अतिक्रमण करता है। बंबई उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त निवेदन को अस्वीकार करते हुए यह विनिश्चित किया कि उच्च न्यायालय का आदेश दं.प्र.सं. के प्रावधानों का प्रतिस्थापन नहीं करता है और न ही संहिता के अंतर्गत अभिकल्पित अनुसंधान तंत्र को निष्क्रिय करता है। खंड पीठ ने कंडिका 27 में यह अवलोकित किया:

> "27. एक नागरिक समाज में सुशासन, सुव्यवस्थित स्वतंत्रता के ताने-बाने के साथ अविच्छेद्य रूप से बुना हुआ है। विधि का प्रवर्तन, अपराधों का अनुसंधान तथा अपराधियों का अभियोजन, उस व्यवस्था के महत्वपूर्ण अवयव हैं जो विधि के शासन के आदर्शों द्वारा निर्देशित होती है। वे आदर्श दूरस्थ क्षितिज पर स्थित प्रतीत होते हैं जब किसी समाज की अंतरात्मा ऐसी कदाचारपूर्ण गतिविधियों से उद्वेलित होती है जिनका स्वरूप तंत्रगत होता है। किसी समाज का बाजार नियंत्रण से बाजार सुधार की ओर विकास, प्रगति का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बाजार शक्तियों का प्रभुत्व संपत्ति सृजन के लिए नए मार्ग उपलब्ध कराता है। दूसरी ओर, आर्थिक प्रणाली की पवित्रता तथा उसकी स्थिरता उन तंत्रगत छल-कपटों से विनष्ट की जा सकती है जिनका

सामना समकालीन अर्थशास्त्र को करना पड़ा है। प्रभावी अनुसंधान तथा अभियोजन, मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध विधिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण हैं, जैसे कि वे उस विधिक तंत्र के भी लक्षण हैं जो आर्थिक गतिविधियों के वैध स्वरूपों का संरक्षण करता है। न्यायालयों को कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन का सम्मान करना चाहिए और वे ऐसा करते भी हैं। समान रूप से, अनुसंधान तथा अभियोजन प्रक्रियाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का अभाव, विधि के शासन के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। जब इस प्रकार के तंत्रगत प्रश्न न्यायालय के समक्ष उत्पन्न होते हैं, तब संवैधानिक सिद्धांतों के व्याख्याकार के रूप में न्यायालय का दायित्व लचीले एवं प्रभावी उपायों की अपेक्षा करता है। विधिक सिद्धांतों का विकास किसी स्थिर एवं जड़ संवाद में सीमित नहीं है। न्यायालय समय की अनुभूत आवश्यकताओं के प्रति प्रत्युत्तर देते हैं और ऐसा करते हुए यह सुनिश्चित करते हैं कि वे संवैधानिक शक्तियों के वितरण अथवा विधिक निषेधों का उल्लंघन न करें। सिद्धांतों की अपरिवर्तनीयता किसी लोकतांत्रिक समाज को अप्रत्याशित अन्यायों के समाधान हेतु प्रभावी उपाय खोजने के प्रयास में जड़ नहीं बना देनी चाहिए।"

49. मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष **आर. शंकरसुब्बु बनाम पुलिस आयुक्त, एग्मोर, चेन्नई, 2013 (1) सीटीसी 1** में एक वाद था, जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्व निदेशक श्री आर.के. राघवन को नियुक्त किया गया। इस संदर्भ में कंडिका 76(i) में निम्नलिखित कहा गया है:

"**76.**(i) हम एतद् द्वारा श्री आर.के. राघवन, जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्व निदेशक हैं, को इस वाद के अनुसंधान हेतु विशेष अनुसंधान दल (एस.आई.टी.) के अनुसंधान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं, जिनकी

सहायता डॉ. एम. नारायण रेड्डी, जो उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के न्यायिक चिकित्सा विभाग के पूर्व प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हैं, द्वारा की जाएगी।

50. इस न्यायालय ने **एडवोकेट्स एसोसिएशन, बंगलौर बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2013) 10 एससीसी 611** में यह अवलोकित किया है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के एक सेवानिवृत्त निदेशक द्वारा की गई थी। उक्त निर्णय की कंडिका 7 निम्नलिखित है:

"**7.** उच्च न्यायालय ने दिनांक 16-05-20121 के आदेश द्वारा एक विशेष अनुसंधान दल (एस.आई.टी.) का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता डॉ. आर.के. राघवन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सेवानिवृत्त निदेशक द्वारा अध्यक्ष के रूप में की गई तथा श्री आर.के. दत्ता, पुलिस महानिदेशक, सीआईडी, बंगलौर को संयोजक के रूप में तथा अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ नियुक्त किया गया, ताकि पुलिस, अधिवक्ताओं तथा मीडिया द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध दर्ज कराई गई शिकायतों के संदर्भ में उक्त घटना का अनुसंधान किया जा सके और इसे शासकीय अधिसूचना की तिथि से 3 माह के भीतर पूर्ण किया जा सके। उक्त के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों की सदस्यता हेतु अनुपलब्धता के कारणों से विशेष अनुसंधान दल के गठन तथा पुनर्गठन के संबंध में अधिसूचनाओं की एक श्रृंखला जारी की गई।

51. यद्यपि इस न्यायालय ने अंततः अनुसंधान को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया, तथापि यह तथ्य अवलोकित किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सेवानिवृत्त महानिदेशक द्वारा की गई थी। हाल ही में इस न्यायालय ने **सुनीता देवी एवं अन्य**

बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2018) 3 एससीसी 664 में एक हत्या के वाद के अनुसंधान हेतु एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया, जिसमें श्री एम.एल. शर्मा, भारतीय पुलिस सेवा (सेवानिवृत्त), जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक थे, को विशेष अनुसंधान दल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उक्त निर्णय की कंडिका 10 में निम्नलिखित निर्देशित किया गया:

> "**10.** अभिलेख पर रखे गए संपूर्ण सामग्रियों का परीक्षण करने के पश्चात्, हम उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के थाना पिलखुआ में पंजीकृत प्राथमिकी संख्या 221 वर्ष 2001 जिसका शीर्षक 'राज्य बनाम मनवीर सिंह' है, के पुनः अनुसंधान हेतु एक विशेष अनुसंधान दल (एस.आई.टी.) गठित करना उचित समझते हैं । केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक, श्री एम.एल. शर्मा, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त), को विशेष अनुसंधान दल का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है । श्री एम.एल. शर्मा को विशेष अनुसंधान दल के सदस्यों के रूप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अपनी पसंद के दो अधिकारियों की सहायता लेने की अनुमति दी जाती है। हम विशेष अनुसंधान दल को प्राथमिकी संख्या 221 वर्ष 2001 के संबंध में आगे के अनुसंधान हेतु आगे बढ़ने और आज से तीन महीने की अवधि के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष अनुसंधान दल को उचित सचिवालय सहायता और साजो-सामान संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार को अध्यक्ष और विशेष अनुसंधान दल के सदस्यों को उनके सुपुर्द की गई जिम्मेदारी का निर्वहन करने के दौरान यात्रा, भोजन और आवास के सभी खर्च प्रदान करने का भी निर्देश दिया जाता है।"

52. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के **भारतीय क्रिकेट**

कंट्रोल बोर्ड बनाम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और अन्य, 2014 (7) एस.सी.सी. 385 के एक निर्णय पर भरोसा किया, जहाँ सेवानिवृत्त आई.पी.एस. श्री एम.एल. शर्मा को शामिल करने के सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया था। उनके स्थान पर 1983 बैच के एक आई.पी.एस. श्री बी.बी. मिश्रा को शामिल किया गया था।

53. उपरोक्त के रूप में उल्लेखित निर्णय यह दर्शाते हैं कि उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को विशेष अनुसंधान दल का हिस्सा बनने या विशेष अनुसंधान दल का नेतृत्व करने के लिए शामिल किया है । विद्वान महान्यायवादी ने यह निवेदित किया है कि ये वे मामले हैं जहाँ सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन न्यायालय को अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग में ऐसी नियुक्ति की वैधता पर विचार करने का अवसर नहीं मिला था। हमने अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार की व्यापक प्रकृति और ऊपर उद्धृत इस न्यायालय के कानून के प्रतिपादन को देखते हुए, संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नई कार्यप्रणाली तैयार करने हेतु अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि विद्वान महान्यायवादी द्वारा तर्क दिया गया है, अनुच्छेद 32 या 226 के तहत क्षेत्राधिकार में कोई बंधन नहीं पढ़ा जा सकता है। पर्याप्त कारण होने पर अनुसंधान किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है जो सेवानिवृत्त है या अब सेवा में नहीं है । उस व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य न्यायालय के आदेश के प्राधिकार के तहत होते हैं । ऐसी विविध स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ किसी पूर्व अधिकारी को किसी वस्तु या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान या कोई अन्य कार्य सौंपा जाता है । जब संवैधानिक न्यायालय किसी विशेष अधिकारी को विशिष्ट कार्य करने का निर्देश देते हैं, तो उस आदेश को उस व्यक्ति को उस पद के सभी आवश्यक परिणामों के साथ उस कार्यालय में पदस्थापित करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। अधिकारी को विशेष वस्तु सौंपी जाती है या केवल एक विशिष्ट कार्य सौंपा जाता है

जिसे उसे पूरा करना होता है। ऐसा निर्देश जारी करने में न्यायालय न तो कोई संवर्ग-बाह्य पद सृजित करता है और न ही किसी पद पर किसी प्रकार की नियुक्ति देकर अधिकारी के पद को प्रभावित करता है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 या उसके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन को किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को विशिष्ट कार्य सौंपने में नहीं पढ़ा जा सकता है । विद्वान महान्यायवादी ने निवेदित किया है कि बाद के सरकारी आदेश दिनांक 09.12.2002 को देखते हुए, जो अब हमारे समक्ष रखा गया है, 60 वर्ष की अधिवर्षिता की आयु के बाद सरकारी सेवकों का पुनर्नियोजन अनुमत नहीं है । उन्होंने अखिल भारतीय (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 का भी उल्लेख किया है, जहाँ नियम 16(1)ए के तहत कैबिनेट सचिव, रक्षा सचिव, गृह सचिव, निदेशक, खुफिया ब्यूरो, सचिव, अनुसंधान और विश्लेषण शाखा तथा निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पदों के पदधारियों को ऐसी अवधि के लिए सेवा विस्तार देने का प्रावधान है जो उचित समझा जाए । उपरोक्त प्रावधान के प्रति और न ही वर्तमान मामले के तथ्यों में उपरोक्त प्रावधान की प्रयोज्यता के प्रति कोई विवाद हो सकता है । वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहाँ सरकार ने प्रत्यर्थी संख्या 2 की सेवाओं को विस्तार देने का निर्णय लिया है । यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि उच्च न्यायालय ने कंडिका 45(1) में प्रत्यर्थी संख्या 2 को उनकी अधिवर्षिता दिनांक 30.11.2018 के प्रभावी होने के पश्चात्, एक वर्ष की अवधि के लिए, सभी चरणों में मूर्तियों और पुरावशेषों की चोरी के मामलों से निपटने के लिए मूर्ति विंग-सी.आई.डी., चेन्नई के नेतृत्व हेतु एक विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का निर्देश जारी किया था । न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि "सरकार उस आशय के आदेश पारित करे" । न्यायालय का स्पष्ट रूप से यह आशय था कि उपरोक्त संबंध में सरकार उचित आदेश पारित कर सकती है । सरकार के लिए यह खुला है कि वह प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशानुसार कार्यों को करने में सक्षम बनाने वाले आदेश जारी करे । विद्वान महान्यायवादी ने निर्देश संख्या 3 पर आपत्ति जताई है जिसके द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 विशेष अधिकारी के रूप में

वही वेतन और लाभ प्राप्त करेंगे जो उनकी सेवानिवृत्ति के समय उन्हें उपलब्ध थे । उक्त निर्देश पर आपत्ति उठाए जाने पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष निष्पक्ष रूप से यह निवेदित किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किसी भी वेतन और लाभ को प्राप्त किए बिना इस न्यायालय के आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन और निर्वहन करने के लिए तैयार है । हमारा यह विचार है कि उच्च न्यायालय को निर्देश संख्या 3 जारी करने के बजाय राज्य सरकार को या तो प्रत्यर्थी संख्या 2 को सेवा में बनाए रखने/पुनर्नियोजित करने या वैकल्पिक रूप से प्रत्यर्थी संख्या 2 को सौंपे गए कर्तव्यों के लिए कुछ मानदेय निर्धारित करने का विकल्प देना चाहिए था। राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप, जिसके तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय में बने रह सकें, न्याय तब होगा जब राज्य सरकार को उस अवधि के दौरान उनकी पेंशन के अतिरिक्त कुछ मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए जिस अवधि में प्रत्यर्थी संख्या 2 ने न्यायालय के आदेश के तहत अपने कर्तव्यों का पालन किया था। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को पहले से दिए गए किसी भी वेतन और लाभ की न तो वसूली की जाएगी और न ही उसे समायोजित किया जाएगा।

54. अतः, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्च न्यायालय प्रत्यर्थी संख्या 2 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अनुसंधान और अन्य कार्यों को करने के लिए विशेष अनुसंधान दल का नेतृत्व करने का निर्देश दे सकता है । हम आगे यह व्यवस्था देते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को उनकी अधिवर्षिता के बाद सी.आई.डी. के मूर्ति शाखा में बनाए रखने के उच्च न्यायालय के दिनांक 30.11.2018 के निर्देश संधारणीय हैं ।

55. विद्वान महान्यायवादी के साथ-साथ श्री मुकुल रोहतगी ने आगे यह निवेदित किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरुद्ध आरोप हैं, कई शिकायतें दर्ज की गई थीं और

यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यर्थी संख्या 2 मूर्ति शाखा के प्रमुख के रूप में बने रहने के लिए सक्षम अधिकारी हैं । यह निवेदित किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने रिट याचिका में 27.11.2018 को शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसके संबंध में अपीलकर्ता को उत्तर दाखिल करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था । दिनांक 27.11.2018 के शपथ पत्र के साथ प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा कई स्व-हितसाधक दस्तावेज अभिलेख पर लाए गए थे, जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किया गया था । यह आगे निवेदित किया गया है कि 2018 के अंतवर्ती आवेदन संख्या 180358 के साथ-साथ 2019 के अंतवर्ती आवेदन संख्या 30023 के साथ विभिन्न शिकायतों के विवरण इस न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर लाए गए थे । जिसके आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 स्वच्छ अभिलेख वाले अधिकारी और बिना किसी शिकायत वाले अधिकारी होने का दावा नहीं कर सकते हैं ।

56. जनहित याचिका के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त दलील का खंडन करते हुए निवेदित किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 2 की सक्षमता या उनके विरुद्ध शिकायतों के संबंध में कोई शिकायत नहीं उठाई गई थी, उच्च न्यायालय द्वारा 30.11.2018 को आदेश पारित किए जाने के बाद ही प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त की गईं जिन्हें 2019 के अं.आ. संख्या 30023 के साथ दाखिल करने का प्रयास किया गया है । यह निवेदित किया गया है कि जो शिकायतें अभिलेख पर लाई गई हैं, वे ऐसी शिकायतें हैं जो दिसंबर, 2018 के तीसरे और चौथे सप्ताह में प्राप्त की गई थीं । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में प्रत्यर्थी संख्या 2 को मूर्ति शाखा में बनाए रखने का निर्देश जारी करने से पहले प्रत्यर्थी संख्या 2 की साख की पूरी तरह से जांच की है । उच्च न्यायालय ने निर्णय की कंडिका 34 में विद्वान अपर महाधिवक्ता के इस कथन पर ध्यान दिया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरुद्ध इसके अलावा कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने पुलिस अपर महानिदेशक को प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है । उच्च न्यायालय द्वारा कंडिका 34 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी :

"34. इससे भी पहले, सुनवाई के प्रारंभिक चरणों के दौरान, जब इस न्यायालय के समक्ष पुलिस विभाग के ऐसे आचरण के बारे में उल्लेख किया गया था, तो विद्वान अपर महाधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से निवेदित किया कि अधिकारी की ओर से एकमात्र दोष यह है कि उन्होंने पुलिस अपर महानिदेशक को प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए हैं और इसके अलावा उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं हैं।"

57. प्रत्यर्थी संख्या 2 को कार्य जारी रखने का निर्देश देने के कारणों को उच्च न्यायालय द्वारा कंडिका संख्या 35 से 41 में निर्धारित किया गया है । उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित करने वाले दिनांक 01.08.2018 के सरकारी आदेश को अभिखंडित किए जाने के बाद, मूर्तियों के अभिरक्षक के रूप में न्यायालय के लिए राज्य के अभिभावक की भूमिका में समाधान तैयार करने हेतु अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना उचित और आवश्यक हो गया है । कंडिका 35 में निम्नलिखित कहा गया है :

"**35.** अब, यह विचार करते हुए कि सरकारी आदेश को अभिखंडित कर दिया गया है और राज्य मामलों को जारी रखने के लिए इच्छुक नहीं है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने स्पष्ट रूप से मामलों को लेने से इनकार कर दिया है और वर्तमान दल की सहायता करने का अपना इरादा व्यक्त किया है; कि केंद्र सरकार अब तक मौन रही है, एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे एक शून्यता पैदा हो गई है और इस न्यायालय को मंदिरों की मूर्तियों और खजानों की रक्षा के लिए समय पर निर्णय लेना है । अतः, मूर्तियों के अभिरक्षक के रूप में इस न्यायालय के लिए, राज्य के अभिभावक की भूमिका में, अनुसंधान में निरंतरता लाने और मूर्तियों, जो इस देश की मूल्यवान संपत्ति हैं, को सुरक्षित रखने के लिए एक समाधान तैयार करने हेतु अपने क्षेत्राधिकार

का प्रयोग करना उचित और आवश्यक हो गया है । यह इस न्यायालय के संज्ञान में आया है कि पुलिस महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत श्री ए.जी. पोन मणिकवेल, आई.पी.एस. दिनांक 30.11.2018 के पूर्वाह्न में अधिवर्षिता प्राप्त कर रहे हैं। अधिकारी की विश्वसनीयता इस तथ्य से स्पष्ट है कि वे अपने कार्यों में निष्पक्ष और तटस्थ रहे हैं। यह न्यायालय अभियुक्तों को पकड़ने में उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से भी संतुष्ट है। यह भी इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था कि हाल ही में, विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर उनके द्वारा 250 से अधिक मूर्तियाँ निकाली गई थीं। कुछ मूर्तियाँ पारगमन के दौरान भी बरामद की गई थीं। वे सूचकों को जोड़े रखने और जबरदस्त प्रगति दिखाने में सक्षम रहे हैं ।

58. कंडिका 36 में न्यायालय ने मूर्ति शाखा द्वारा संपन्न कार्यों के विवरण और प्रत्यर्थी संख्या 2 के नेतृत्व वाली विशेष अनुसंधान दल द्वारा बरामद की गई मूर्तियों पर ध्यान दिया है। निर्णय की कंडिका 40 में, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन पर भी ध्यान दिया और यह पाया कि प्रत्यर्थी का मूल्यांकन 28 अधिकारियों द्वारा किया गया था और उन्हें 27 अधिकारियों द्वारा उत्कृष्ट ग्रेडिंग दी गई है, केवल एक अधिकारी को छोड़कर जिसने प्रतिकूल टिप्पणी की थी जिसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा अपास्त कर दिया गया था। अतः, हमारा यह विचार है कि उच्च न्यायालय ने सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के उचित परीक्षण के पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 2 को मूर्ति शाखा के नेतृत्व हेतु बनाए रखने का निर्णय लिया था। उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है जहाँ प्रत्यर्थी संख्या 2 के कार्य और आचरण की सराहना की गई थी, जिन टिप्पणियों को उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष के समर्थन में उद्धृत किया था।

59. उच्च न्यायालय द्वारा कंडिका 34 में उल्लेखित अपर महाधिवक्ता का

कथन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरुद्ध ऐसे कोई आरोप नहीं थे जिससे इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके कि वह मूर्ति शाखा में बने रहने हेतु निर्देशित किए जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं थे। जिन शिकायतों का अब अपीलकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया है और जिन पर भरोसा किया गया है, वे ऐसी शिकायतें हैं जो उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद प्रस्तुत की गई हैं। अं.आ. संख्या 10291 वर्ष 2018 के साथ याचिकाकर्ताओं ने कंडिका 6 में एक सारणीबद्ध चार्ट में कुछ शिकायतों का संदर्भ दिया है। उक्त चार्ट इंगित करता है कि शिकायतें वर्ष 2018 के दिसंबर माह की 17, 18 और 26 तारीख की हैं। वे ऐसी शिकायतें हैं जो इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर किए जाने के बाद भी प्रस्तुत की गई थीं। हमें शिकायतों में लगाए गए आरोपों की सत्यता या अन्यथा की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय ने अपने निर्देश में यह टिप्पणी की है कि यदि प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरुद्ध सामग्रियां उपलब्ध हैं, तो उन्हें आगे के निर्देश के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष रखा जा सकता है। उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् बाद में प्रस्तुत की गई शिकायतों के आधार पर, हम अपीलकर्ता के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 दिनांक 30.11.2018 के बाद मूर्ति शाखा का नेतृत्व करने की अनुमति दिए जाने हेतु उपयुक्त व्यक्ति नहीं थे। जहाँ तक अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का संबंध है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा 27.11.2018 को शपथ पत्र दाखिल किए जाने के बाद अपीलकर्ता को कोई अवसर नहीं दिया गया था, निर्णय की कंडिका 34 को उद्धृत करना उपयोगी है जहाँ उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है "चूंकि 27.11.2018 को एक शपथ पत्र दाखिल किया गया था, इसलिए हमारे द्वारा 27.11.2018 को पुनः इसी तरह के निर्देश जारी किए गए थे कि यदि कोई सामग्री उपलब्ध हो तो उसे इस न्यायालय के समक्ष रखा जाए। हालाँकि, आज तक हमारे समक्ष ऐसी कोई सामग्री नहीं रखी गई है।" अतः, हमारा यह विचार है कि उच्च न्यायालय ने सामग्री, यदि कोई हो, रखने का अवसर दिया था। अतः, हमारा यह विचार है कि उच्च न्यायालय ने

प्रत्यर्थी संख्या 2 को उनकी 30.11.2018 को अधिवर्षिता के पश्चात् मूर्ति शाखा का नेतृत्व जारी रखने का निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की।

<u>मुद्दा संख्या 5</u>

60. अब हम उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की कंडिका 45 में जारी किए गए 10 निर्देशों पर आते हैं जिन्हें विद्वान महान्यायवादी द्वारा इस आधार पर आक्षेपित किया गया है कि प्रत्येक निर्देश विधि के प्रतिकूल है। हम प्रत्येक निर्देश पर अलग-अलग विचार करेंगे:

(1) निर्देश संख्या 1 द्वारा, प्रत्यर्थी संख्या 2 को दिनांक 30.11.2018 को उनकी अधिवर्षिता पर मूर्ति विंग-सी.आई.डी., चेन्नई के नेतृत्व हेतु विशेष अधिकारी के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया गया था। सरकार को उस आशय के आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था। हमने प्रश्न संख्या 3 और 4 पर विचार करते समय पहले ही यह व्यवस्था दी है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को मूर्ति विंग-सी.आई.डी. के नेतृत्व हेतु विशेष अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए निर्देशित किया जा सकता था, अतः हमें निर्देश संख्या 1 में कोई त्रुटि नहीं मिली है।

(2) निर्देश संख्या 2 के संबंध में, उच्च न्यायालय के दिनांक 21.07.2017 के पूर्व आदेश द्वारा विशेष दल पहले ही गठित किया जा चुका था जिसे जारी रखने का निर्देश दिया गया था, जिस निर्देश पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है।

(3) निर्देश संख्या 3 के संबंध में, प्रत्यर्थी संख्या 2 को विशेष अधिकारी के रूप में उनके कार्यकाल की पूरी अवधि के लिए वही वेतन और लाभ प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था जो उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के समय उपलब्ध थे। हमारा यह विचार है कि ऐसे निर्देश के बजाय, उच्च न्यायालय को राज्य सरकार को या तो पुनर्नियोजन/पुनः नियुक्ति के लिए आदेश पारित करने का

विकल्प देना चाहिए था या राज्य को पेंशन के अतिरिक्त कुछ मानदेय निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए थी, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्राप्त की जाती। सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदित किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 उच्च न्यायालय द्वारा सौंपे गए अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार है, भले ही इसके लिए उसे किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान न किया जाए। हमारा यह विचार है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, निर्देश संख्या 3 को इस आशय के साथ संशोधित किया जाना उचित है कि राज्य प्रत्यर्थी संख्या 2 को उसकी प्राप्त होने वाली पेंशन के अतिरिक्त भुगतान किए जाने वाले मानदेय का निर्धारण करेगा। हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि यदि उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में प्रत्यर्थी संख्या 2 को पहले ही किसी राशि का भुगतान किया जा चुका है, तो उसे न तो वसूला जाएगा और न ही समायोजित किया जाएगा।

(4) निर्देश संख्या 4 के द्वारा उच्च न्यायालय ने विशेष अधिकारी को मामलों की गहनता से जाँच करने और न्यायालय को जाँच की निगरानी करने में सक्षम बनाने हेतु सभी प्रतिवेदनों को सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। हमने यह संज्ञान लिया है कि दिनांक 29.11.2018 के आदेश द्वारा मूर्ति शाखा के नेतृत्व हेतु एक अपर पुलिस महानिदेशक को नियुक्त किया गया था, अतः उच्च न्यायालय के लिए प्रत्येक प्रतिवेदन की सूक्ष्म जाँच करने और प्रत्येक प्रतिवेदन को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता का भार स्वयं पर डालना आवश्यक नहीं था। चूँकि मूर्ति शाखा में एक उच्च अधिकारी तैनात है, इसलिए अनुसंधान की प्रगति और परिणाम की रिपोर्ट अपर पुलिस महानिदेशक को दी जानी चाहिए थी और उच्च न्यायालय में रिपोर्ट तब आवश्यक थी जब विशेष अधिकारी द्वारा

कुछ निर्देशों की आवश्यकता होती। हम निर्देश संख्या 4 को इस आशय के साथ संशोधित करते हैं कि अनुसंधान की प्रगति की रिपोर्ट मूर्ति शाखा के अपर पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत की जाएगी और उच्च न्यायालय को रिपोर्ट विशेष अधिकारी द्वारा केवल तभी प्रस्तुत की जा सकती है जब उच्च न्यायालय से किसी और निर्देश की आवश्यकता हो।

(5) निर्देश संख्या 5 के संबंध में, इस निर्देश द्वारा विशेष अधिकारी को न केवल लंबित मामलों में अनुसंधान करने और आरोप पत्र दाखिल करने तथा अभियोजन चलाने का निर्देश दिया गया है, बल्कि उनके कार्यकाल के दौरान भविष्य में उत्पन्न होने वाले मामलों में भी ऐसा करना जारी रखने का निर्देश दिया गया है। इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है।

(6) निर्देश संख्या 6 के संबंध में, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और केंद्र सरकार की अन्य एजेंसियां विशेष अधिकारी को उचित सहायता देना जारी रखेंगी, इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है क्योंकि स्वयं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिनांक 19.09.2018 के पत्र द्वारा अपनी सहायता देने के संबंध में सूचित किया था।

(7) निर्देश संख्या 7 के संबंध में विद्वान महान्यायवादी द्वारा गंभीर आपत्ति उठाई गई है। उन्होंने निवेदित किया कि उक्त निर्देश प्रत्यर्थी संख्या 2 को छूट प्रदान करता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 को विधि से ऊपर नहीं माना जा सकता। हमारा यह विचार है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 सहित कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। उच्च न्यायालय ने राज्य या किसी भी सक्षम प्राधिकारी को यह स्वतंत्रता दी है कि यदि प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरुद्ध कोई सामग्री उपलब्ध है, तो वे आगे के निर्देश के लिए उन सामग्रियों को न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। निर्देश संख्या 7 में दी गई स्वतंत्रता पर्यास रूप से राज्य के हितों

की रक्षा करती है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(8) निर्देश संख्या 8 उन संबंधित विभागों को संचार भेजने से संबंधित है जिससे वे विशेष दल को सहयोग प्रदान करें, जिस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है।

(9) निर्देश संख्या 9 के संबंध में, विद्वान महान्यायवादी ने निवेदित किया है कि उच्च न्यायालय को वित्तीय पहलुओं के संबंध में कोई निर्देश नहीं देना चाहिए था। उन्होंने निवेदित किया कि वित्त के आवंटन के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसके लिए बजट पारित किया जाना आवश्यक होता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य द्वारा वर्ष 1983 में मूर्ति शाखा का गठन किया गया था और कई दशकों से मूर्ति शाखा वित्तीय पहलुओं को संभालने के लिए किसी अलग प्रभाग के प्रावधान के बिना कार्य कर रहा है। हमारा यह विचार है कि वित्तीय पहलुओं को संभालने के लिए ऐसा प्रभाग बनाने हेतु कोई निर्देश जारी करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। मूर्ति शाखा को बजट आवंटन के अनुसार चलाया जाना चाहिए और किसी भी आवश्यकता की स्थिति में, उच्च पुलिस अधिकारियों और राज्य सरकार के लिए आवश्यक कदम उठाने के विकल्प सदैव खुले हैं। अतः, निर्देश संख्या 9 को हटाया जाना है।

(10) निर्देश संख्या 10 एक सामान्य निर्देश है जिस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है।

प्रश्न संख्या 5 तदनुसार निर्णीत की जाती है।

<u>मुद्दा संख्या 6</u>

61. उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.11.2018 को निर्णय सुनाते समय, दिनांक 29.11.2018 के उस आदेश पर संज्ञान लिया जिसे प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा न्यायालय के ध्यान

में लाया गया था, जिसके संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की कंडिका 47 और 48 में टिप्पणी की गई है। कंडिका 47 और 48 में निम्नलिखित अवलोकन किया गया है:

> "**47.** जब हम यह आदेश सुनाने ही वाले थे, तो रिट याचिका संख्या 20392 वर्ष 2018 के याचिकाकर्ता ने पुलिस नोट संख्या एस.सी./19/2018 दिनांक 29.11.2018 के माध्यम से तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी कार्यवाही की एक प्रति प्रस्तुत की, जो यह इंगित करती है कि तिरु अभय कुमार सिंह, आई.पी.एस., अपर पुलिस महानिदेशक/मुख्य सतर्कता अधिकारी, तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड, करूर को स्थानांतरित कर, मूर्ति शाखा सी.आई.डी. के पुलिस महानिरीक्षक के पद को उन्नत करते हुए, अपर पुलिस महानिदेशक, मूर्ति शाखा, सी.आई.डी., चेन्नई के पद पर नियुक्त किया गया है।
>
> **48.** हमारा यह विचार है कि राज्य प्रारंभ से ही मूर्ति चोरी के मामलों के अनुसंधान को जारी रखने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इस न्यायालय के स्थगन आदेश के लंबित होने के बावजूद उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया गया था। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि आदेश सुरक्षित रखे जाने के बाद, उन्होंने दिनांक 29.11.2018 के आदेश द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक के पद को उन्नत किया और एक अधिकारी की नियुक्ति की, जो कि अनुचित कृत्य है और यह पर्याप्त रूप से सिद्ध करता है कि मामलों का स्थानांतरण अत्यंत जल्दबाजी में केवल एक दिन के भीतर, अर्थात 01.08.2018 को किया गया था। इसी प्रकार, जिस ढंग से वर्तमान आदेश दिनांक 29.11.2018 पारित किया गया है, वह स्वयं अपनी स्थिति स्पष्ट करता है। अत: सरकार द्वारा पारित दिनांक 29.11.2018 का आदेश, जो कि निरर्थक हो चुका है, के होने के बावजूद, हमारे द्वारा आदेशित किए गए अनुसार तिरु ए.जी. पों मानिकवेल मूर्ति शाखा के नेतृत्व हेतु विशेष अधिकारी के रूप में

कार्यभार संभालेंगे, ताकि इस भूमि की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु मूर्तियों को संरक्षित करने के साथ-साथ चोरी हुई मूर्तियों की बरामदगी की जा सके।"

62. उपरोक्त टिप्पणी स्वयं यह इंगित करती है कि सरकार के दिनांक 29.11.2018 के आदेश द्वारा पुलिस महानिरीक्षक के पद को अपर पुलिस महानिदेशक के रूप में उन्नत किया गया था, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा 29.11.2018 को नियुक्त किया गया था। चूँकि दिनांक 29.11.2018 का आदेश रिट याचिका में चुनौती के अधीन नहीं था, इसलिए उच्च न्यायालय के लिए उस संबंध में कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं था। दिनांक 29.11.2018 के आदेश को कोई चुनौती न होने के बावजूद, उच्च न्यायालय का यह अवलोकन करना उचित नहीं था कि दिनांक 29.11.2018 का आदेश निरर्थक हो गया है। अतः, हम कंडिका 47 और 48 में उच्च न्यायालय द्वारा की गई इस टिप्पणी को अस्वीकार करते हैं कि दिनांक 29.11.2018 का आदेश निरर्थक हो गया है। दिनांक 29.11.2018 का आदेश एक सरकारी आदेश था जिसे रिट याचिका में चुनौती नहीं दी गई थी, अतः वह प्रभावी बना रहेगा कि मूर्ति शाखा का नेतृत्व 29.11.2018 को नियुक्त अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा किया जाएगा। मूर्ति शाखा का नेतृत्व अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा किया जाएगा। हालांकि, हम यह निर्देशित करते हैं कि विशेष अधिकारी अपने दल के साथ सभी उचित कदम उठाएंगे और वह अनुसंधान के परिणाम की रिपोर्ट अपर पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत करेंगे ताकि उचित आगे की कार्यवाही की जा सके। मुद्दा संख्या 6 तदनुसार निर्णीत की जाती है।

63. इससे पहले कि हम इसे समाप्त करें, हमें एक पहलू को स्पष्ट करने और ऊपर कही गई बातों के संबंध में एक आवश्यक सावधानी पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अर्थात्:

(i) जहाँ तक दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वैधानिक

प्रतिवेदनों को दाखिल करने का संबंध है, आवश्यक प्रतिवेदन दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अधिकृत अधिकारी द्वारा ही दाखिल किए जाने चाहिए।

(ii) ऐसे असाधारण मामले उत्पन्न हो सकते हैं जहाँ न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश अपरिहार्य हो सकता है, परंतु उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का सहारा सभी पक्ष-विपक्ष पर विचार करने और सभी विकल्पों को समाप्त करने के बाद केवल अंतिम उपाय के रूप में ही लेना चाहिए। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी या किसी अन्य सेवानिवृत्त कर्मी की सेवाएँ लेना सामान्यतः उचित नहीं है क्योंकि संबंधित राज्य में सक्षम और योग्य अधिकारियों की कमी नहीं होती है, इसलिए जब भी न्यायालय सेवानिवृत्त अधिकारियों या कर्मियों की सेवाओं की सहायता लेना आवश्यक समझे, तो यह आवश्यक सावधानी के साथ होना चाहिए और केवल तभी किया जाना चाहिए जब अत्यंत वैध और अपरिहार्य परिस्थितियाँ हों।

64. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। उच्च न्यायालय के निर्णय को निम्नलिखित सीमा तक संशोधित किया जाता है:-

(1) उच्च न्यायालय के निर्णय की कंडिका 45 में जारी निर्देश संख्या 9 को हटाया जाता है और निर्देश संख्या 3 और 4 को इस निर्णय की कंडिका 60(3) और 60(4) में दर्शाए अनुसार संशोधित किया जाता है।

(2) उच्च न्यायालय के निर्णय की कंडिका 48 में दिया गया यह आदेश, कि सरकार का दिनांक 29.11.2018 का आदेश निरर्थक हो गया है, अपास्त किया जाता है।

65. पक्षकार अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

निधि जैन अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।